# 16वीं वार्षिक रिपोर्ट
# 16th ANNUAL REPORT
## 2022-23

**दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड**
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार का उपक्रम)

**DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED**
(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

# 16वीं वार्षिक रिपोर्ट
# 16th ANNUAL REPORT
# 2022-23

## दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)

## DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED
**(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)**

(सीआईएन सं. यू45400डीएल2007जीओआई170534)
**(CIN No.: U45400DL2007GOI170534)**

13वॉं तल, टॉवर–2, नया पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड़, नई दिल्ली–110001
**13th Floor, Tower-II, New PHQ Building, Jai Singh Road, New Delhi – 110001**
दूरभाष / **Phone : 011-20818868** ई–मेल / **E-mail : dphcltd@yahoo.com, dphcltd@delhipolice.gov.in**
वेबसाईट / **Website:www.dphcl.com**

दिपुआनिलि द्वारा नया पुलिस मुख्यालय आवासीय परिसर में बालकनी पर व्यू–कटर स्थापित किया

Installation of View-Cutter at balcony in the New PHQ Residential Complex by DPHCL

# कंपनी सूचना
# COMPANY INFORMATION

**निदेशक मंडल (2022–2023)**
**Board of Directors (2022-2023)**

श्री संजय अरोड़ा
Sh. Sanjay Arora
अध्यक्ष Chairman
(दिनांक/w.e.f. 12-09-2022)

श्री सुरेन्द्र सिंह यादव
Sh. Surender Singh Yadav
प्रबंधक निदेशक Managing Director
(दिनांक/w.e.f. 17-05-2022)

श्री देपेन्द्र पाठक
Sh. Dependra Pathak
अपर निदेशक Additional Director
(दिनांक/w.e.f. 03-02-2022)

श्री संजय बेनीवाल
Sh. Sanjay Baniwal
अपर निदेशक Additional Director
(दिनांक/w.e.f. 03-02-2022)

श्री अजय कुमार गुप्ता
Sh. Ajay Kumar Gupta
नामित निदेशक Nominee Director
(दिनांक/w.e.f. 22-01-2021)

श्री प्रवीन कुमार राय
Sh. Praveen Kumar Rai
नामित निदेशक Nominee Director
(दिनांक/w.e.f. 19-01-2022)

श्री दीपक अग्रवाल
Sh. Deepak Agarwal
नामित निदेशक Nominee Director
(दिनांक/w.e.f. 10-11-2022)

श्री हरीश कुमार
Sh. Harish Kumar
नामित निदेशक Nominee Director
(दिनांक/w.e.f. 17-11-2022)

**सांविधिक लेखापरीक्षक**
मैसर्स बीजीजेसी एंड एसोशिएटस एलएलपी
सनदी लेखाकार
मुख्यालय : राज टॉवर – एल, जी–वन
अलकनंदा कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली–110 019, भारत
फोन नं॰– 91–11–26025140
ई मेल : bgjc@bgjc.in

**Statutory Auditors**
M/S BGJC & ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
Head Office: Raj Tower-L, G-1,
Alaknanda Community Center,
New Delhi-110 019, India
Ph.: +91-11-26025140
E-mail: bgjc@bgjc.in

**बैंकर्स**
भारतीय स्टेट बैंक
आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002
एक्सेस बैंक
नया पुलिस मुख्यालय,
जय सिंह रोड़, नई दिल्ली–110001

**Bankers**
State Bank of India
I. P. Estate, New Delhi-110002
Axis Bank
New PHQ Building,
Jai Singh Road, New Delhi – 110001

**पंजीकृत कार्यालय :**
दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड
13वॉं तल, टॉवर–2, नया पुलिस मुख्यालय,
जय सिंह रोड़, नई दिल्ली–110001

**Registered Office :**
Delhi Police Housing Corporation Limited
13th Floor, Tower-II, New PHQ Building,
Jai Singh Road, New Delhi – 110001

दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस परेड के उपलक्ष में सौन्दर्यकरण का कार्य दिपुआनिलि के द्वारा सम्पन्न किया गया।

On the occasion of Delhi Police Foundation Day Parade, the work of decorated was completed by DPHCL

एकीकृत सुविधा बूथ का डिजाइन एवं विकास दिपुआनिलि द्वारा किया गया

Integrated Facilitation Booth Design & Developed by DPHCL

# विषय–सूची | Contents


| क्र.सं. SL.No. | विषय PARTICULARS | पृ.सं. PAGE No. |
|---|---|---|
| 1. | नोटिस | 1 |
| | Notice | |
| 2. | दिपुआनिलि की पृष्ठभूमि और कार्य | 5 |
| | Background and Function of DPHCL | |
| 3. | निदेशक मंडल की रिपोर्ट | 7 |
| | Director's Report | |
| 4. | स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट | 22 |
| | Independent Auditor’s Report | |
| 5. | भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी | 38 |
| | Comments of the Comptroller ond Auditor General of India | |
| 6. | तुलन–पत्र | 41 |
| | Balance Sheet | |
| 7. | लाभ और हानि का विवरण | 43 |
| | Statement of Profit and Loss | |
| 8. | नकद प्रवाह का विवरण | 45 |
| | Cash Flow Statement | |
| 9. | वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां | 47 |
| | Notes on Financial Statements | |

# दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड

13वॉ तल, टॉवर–2, नया पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड़, नई दिल्ली–110001
सीआईएन सं. यू45400डीएल2007जीओआई170534
**दूरभाष : 011–20818868 ई–मेल : dphcltd@yahoo.com वेब साईट : www.dphcltd.com**

## नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** के सदस्य गणों की 16वीं वार्षिक आम बैठक 18 सितंबर, 2023 सोमवार को सायं 04:00 बजे कान्फ्रेंस हॉल, आयुक्त सचिवालय, 17वॉ तल, टॉवर– I, नवीन पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, दिल्ली पुलिस नई दिल्ली–110001 में निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए होगी:

**सामान्य कार्य**

1. दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना, प्राप्त करना और अपनाना है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति का तुलन–पत्र, को बैलेंस शीट शामिल है, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, तथा उस वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की अनुसूचियां संलग्न हैं।

**कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से**
**दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड**

ह.

**(नीरज ठाकुर) आईपीएस**
प्रबंधक निदेशक
डिन–10267469

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 16.08.2023

<u>**टिप्पणी:**</u>

1. **बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अधिकृत सदस्य को अपने स्थान पर किसी को प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने एवं अपने स्थान पर परोक्षी/परोक्षियों नियुक्त करने का अधिकार है। ऐसे परोक्षी/परोक्षिया को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी को वधिवत भरा हुआ परोक्षी फार्म, कंपनी की बैठक आरंभ होने से पहले 48 घंटें पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।**

# DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

**Regd. Office:** 13th Floor, Tower-II, NEW PHQ Building, Jai Singh Road, New Delhi-110001
**CIN:** U45400DL2007GOI170534
**PHONE No.** 011-20818868, **Email ID:** dphcltd@yahoo.com, **website:** www.dphcl.com


## NOTICE

**NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE SIXTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE MEMBERS OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED WILL BE HELD ON MONDAY, THE 18TH DAY OF SEPTEMBER, 2023 AT 4:00 P.M. AT CONFERENCE HALL, OFFICE OF CP, 17TH FLOOR, TOWER 1, NEW POLICE HEADQUARTER, JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001 TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS:**

**ORDINARY BUSINESS:**

1. To consider, receive and adopt the audited financial statements of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2023 including Balance Sheet as at 31st March, 2023, Profit and Loss Account for the year ended on that date, Cash Flow Statement for the year ended on that date and schedules annexed together thereto, together with report of Statutory Auditors for that year and the letter of the Comptroller and Auditor General of India(CAG).

**By the order of Board**
**For Delhi Police Housing Corporation Limited**

(Neeraj Thakur), IPS
**Managing Director**
DIN:10267469

Place: New Delhi
Date: 16.08.2023

**NOTES**

1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING ON HIS/HER BEHALF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. PROXIES IN ORDER TO BE VALID MUST BE RECEIVED AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY NOT LATER THAN FOURTY EIGHT HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING.

2. एक व्यक्ति पचास से अधिक सदस्य की ओर से एक परोक्षी के रूप में कार्य कर सकता है और कुल मिलाकर कंपनी की कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक नहीं रखता है जिसके पास वोटिंग अधिकार है और वो व्यक्ति किसी अन्य सदस्य के लिए परोक्षी के रूप में कार्य नहीं करेगा। उपस्थिति पर्ची और परोक्षी फॉर्म को जमा करने, मोहर लगाने, हस्ताक्षर करने या परोक्षी फॉर्म जमा करने के स्पष्ट निर्देशों के साथ संलग्न है।

3. जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं किए है उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में भविष्य के संदेश भेजने के लिए कंपनी में इसे पंजीकृत करें। सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे अपने पते में परिवर्तन के बारे मे कंपनी को तुरंत सूचित करें।

4. वार्षिक आम बैठक में अधिनियम की धारा 170 के तहत बनाए गए निदेशको और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियो का रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता और अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए अनुबंधो का व्यवस्थाओं का रजिस्टर जिसमें निदेशकों की रूचि है सदस्यो द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

5. संलग्न नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय मे सभी कार्य दिवसो में कार्य समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.30 बजे तक के दौरान और कंपनी की वार्षिक आम बैठक के दिन भी निरीक्षण के लिए खुले है।

6. आपकी सुविधा के लिए वार्षिक आम बैठक स्थल तक पहुँचने के लिए एक रूट मैप संलग्न है।

**कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से**
**दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड**

ह.

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 16.08.2023

**(नीरज ठाकुर) आईपीएस**
प्रबंधक निदेशक
डिन–10267469

2. A person can act as a proxy on behalf of Members not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights and such person shall not act as a proxy for any other member. The attendance slip and a proxy form with clear instructions for filing, stamping, signing and/or depositing the proxy form are enclosed.

3. Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register the same with the Company for sending future communication(s) in electronic form. The members are also requested to intimate to the company about the change in their address immediately.

4. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Act, and the Register of Contracts or Arrangements in which the directors are interested, maintained under Section 189 of the Act, will be available for inspection by the members at the AGM.

5. All documents referred to in the accompanying notice are open for inspection at the registered office of the company during office hours on all working days between 11:00 A.M. to 4:30. P.M. up to and including the date of the Annual General Meeting of the company.

6. A route map to reach the venue of Annual General Meeting is enclosed for your convenience.

**By the order of Board**
**For Delhi Police Housing Corporation Limited**

(Neeraj Thakur), IPS
**Managing Director**
DIN:10267469

Place: New Delhi
Date: 16.08.2023

## दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड की पृष्ठभूमि और कार्य

दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (दिपुआनिलि) की स्थापना मंत्रिमंडल की टिप्पणी के माध्यम से गृह मंत्रालय के दिनांक 02.06.2006 के पत्र द्वारा महामहिम भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिनांक 16 नवंबर, 2007 को हुई। निगम की आज की तारीख में प्राधिकृत अंश पूंजी दस करोड़ रुपए है और प्रदत्त पूंजी पांच करोड़ रुपए है।

### निगमन का उद्देश्य

घरों और पुलिस स्टेशनों की इमारतों के निर्माण के लिए परिव्यय के तेजी से उपयोग की क्षमता विकसित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित किया गया था कि दिल्ली पुलिस के लिए एक पुलिस आवास निगम की स्थापना की जाए। निगम की मुख्य गतिविधि इमारत सहित अथवा बिना इमारत के भूमि की अधिग्रहण, घरों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों इत्यादि का निर्माण और अनुरक्षण करना है।

गृह मंत्रालय के 7 जुलाई, 2006 के पत्र सं 14014/02/05 यूटीपी के अनुसार, निगम में स्थायी स्थिति में निम्नांकित कोर स्टाफ होगा :

## BACKGROUND AND FUNCTION OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Delhi Police Housing Corporation Limited (DPHCL) was formed with the approval of Hon'ble President of India vide MHA's letter Dated 02.06.2006 through Cabinet Note and incorporated in Dated on 16th November' 2007 under Companies Act, 1956. The Authorized Share Capital of the Corporation is Rupees Ten crores and Paid up Capital of Rupees Five crores as on date.

### OBJECTIVES OF INCORPORATION

With a view to develop the capacity for faster utilization of outlays for construction of houses and Police Station Buildings, it was proposed that a Police Housing Corporation be established for Delhi Police. The main activities of the Corporation are to acquire land with or without buildings, undertake construction and maintenance of houses, offices or other buildings etc.

As per MHA's letter No. 14014/02/05-UTP dated 7th July, 2006 the Corporation shall have following core staff in permanent positions :-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | प्रबंध निदेशक<br>The Managing Director | एजीएमयू संवर्ग का आईजी रैंक का आईपीएस अधिकारी<br>An IPS Officer of the IG Rank of AGMU Cadre |
| (ii) | पर्यवेक्षक इंजीनियर – एक<br>Superintending Engineer– One | सीपीडब्ल्यूडी और अन्य सरकारी एजेंसियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिनियुक्ति पर<br>Deputation from CPWD & other Govt. agencies/PSUs |
| (iii) | कार्यपालक इंजीनियर – एक<br>Executive Engineer – One | |
| (iv) | सहायक कार्यपालक इंजीनियर –दो<br>Assistant Executive Engineer – Two | |
| (v) | महाप्रबंधक (वित्त)–सह–कंपनी सचिव – एक<br>General Manager (Finance) – cum-Company Secretary– One | प्रतिनियुक्ति पर<br>On Deputation |

निजी स्टाफ सहित कुल कार्यालयीन सहायक कार्मिक 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए अपेक्षित तकनीकी स्टाफ को परियोजना आधारित संविदा सौंपी जाएगी।

### वर्तमान संगठनात्मक संरचना :–

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर अध्यक्ष (पदेन)
2. विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर प्रबंध निदेशक (पदेन)
3. गृह मंत्रालय के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक

The total supporting office staff should not be more than 10 including personal staff. The technical staff required for supervising of works will be on project based contract assignments.

### PRESENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE :-

1. Commissioner of Police, Delhi as Chairman (Ex Officio).
2. Special Commissioner of Police as Managing Director (Ex Officio).
3. One Representative of Ministry of Home Affairs as Director.
4. One Representative of Government of NCT of Delhi as Director.

5. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक

6. दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक

गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 22 जनवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/1/2012– यूटीपी के द्वारा दिपुआनिलि के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के लिए डीपीई को मंत्रिमंडल का अनुमोदन निम्नानुसार सूचित किया।

1. सरकारी निदेशक – दो

2. स्वतंत्र निदेशक – दो

3. कार्यकारी निदेशक – दो

**सरकारी निदेशक** :– डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में सरकारी निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 1/6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिपुआनिलि में दो सरकारी निदेशकों को प्रस्तावित किया है :

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली – पदेन अध्यक्ष

2. गृह मंत्रालय से एक प्रतिनिधि

**स्वतंत्र निदेशक** : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में स्वतंत्र/गैर–सरकारी, अंशकालिक निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या से न्यूनतम 1/3 होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो स्वतंत्र निदेशक प्रस्तावित हैं।

**कार्यकारी निदेशक** : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

**वर्गीकरण** : दिपुआनिलि को लोक उद्यम विभाग द्वारा **अनुसूची 'ग' सीपीएसई** कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया है।

**पंजीकरण** : दिपुआनिलि को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत दिनांक 16.11.2007 को CIN - U45400DL2007GOI170534 द्वारा लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

**व्यापार आरंभ करने का प्रमाण–पत्र** : दिपुआनिलि ने अपना व्यापार आरंभ करने का प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 21.05.2008 को प्राप्त किया।

**निगम के प्रचालन का क्षेत्र** : संस्था के बहिर्नियम के अनुसार कंपनी की मुख्य गतिविधि पुलिस विभाग के फ्लैटों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों का विकास, निर्माण अथवा मरम्मत और अनुरक्षण हैं। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। निगम ने दिल्ली पुलिस के भूमि और भवन सेल की पांच चल रही परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया है। वर्तमान में, दिपुआनिलि दिल्ली पुलिस के भवन का रखरखाव कार्य कर रहा है।

5. One Representative of Ministry of Urban Development of India as Director.

6. One Representative from DDA as Director.

The MHA vide O.M. No. 14014/1/2012-UTP, dated 22nd January, 2016 has conveyed the approval of Cabinet to DPE to re-constitute the Board of Directors of DPHCL as under :-

1. Government Director - Two

2. Independent Director - Two

3. Functional Director - Two

**GOVERNMENT DIRECTORS :-** As per DPE guidelines, every board should have Government Directors, the member of such Directors in the Board should not exceed 1/6th of the actual strength of the Board. DPHCL has proposed two Government Directors :-

1. Commissioner of Police, Delhi- Ex. Officio Chairman.

2. One representative from Ministry of Home Affairs.

**INDEPENDENT DIRECTORS :-** As per DPE guidelines, every Board should have Independent/Non-official, Part-Time Directors; the number of such Directors in the Board should be at least 1/3rd of the actual strength of the Board. In DPHCL two Independent Directors are proposed.

**FUNCTIONAL DIRECTORS :-** As per DPE guidelines, every Board should have full time functional Directors; the number of such Directors in the Board should not exceed 50% of the actual strength of the Board.

**CATEGORISATION :-** DPHCL is categorized as a **Schedule "C" CPSE** Company by Department of Public Enterprises.

**REGISTRATION :-** DPHCL was registered under the Companies Act 1956 ( No. 1 of 1956) as Limited Company vide CIN No. U45400DL2007GOI170534 dated 16.11.2007 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

**CERTIFICATE OF COMMENCEMENT OF BUSINESS :** DPHCL has also got its Certificate for Commencement of Business on 21.05.2008 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

**AREA OF OPERATION OF THE CORPORATION :-** The main activity of the Company as per Memorandum of Association is to develop, construct, build or repair and maintain flats, offices or other buildings of Police Department. It is under the administrative control of Ministry of Home Affairs. The Corporation has already Completed five ongoing projects of the Land and Building Cell of Delhi Police. Presently, DPHCL carrying out Maintenance work of building of Delhi Police.

## निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सदस्यगण,

आपकी कंपनी के निदेशकगणों को कंपनी के व्यापार और प्रचालन पर 16वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणिका प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

**व्यापार और प्रचालन:**

कंपनी की मुख्य गतिविधि पुलिस विभाग के फ्लैटों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों का विकास, संरचना निर्माण या मरम्मत करना है। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है। कंपनी को सौंपी गई सभी परियोजनाएं पूर्ण हुईं। और दिल्ली पुलिस को सौप दी गई। कंपनी ने भिन्न भिन्न मरम्मत व रखरखाव कार्य पूर्ण किए। और दिल्ली पुलिस के आवसीय व गैर–आवसीय भवनों के रखरखाव के साथ–साथ राष्ट्रीय आयोजन से संबंधित कुछ परियोजनाओं को पूर्ण किया।

**वित्तीय विषेताएं:**

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय निष्पादन का सार इस प्रकार है:

## DIRECTOR'S REPORT

The Members,

The Directors of your Company have pleasure in Presenting their 16th Annual Report on the business and operations of the Company and Audited financial statements for the Financial Year ended on 31st March, 2023.

**Business and Operations :**

The main activity of the Company is to develop, construct, build or repair and maintenance of flats, offices or other building of Police Department. It is under the administrative control of Ministry of Home Affairs. All projects assigned to the company were completed and handed over to Delhi Police. The Company completed different repair and maintenance work of residential and non-residential buildings of Delhi Police as well as completed certain projects /assignments related to national event.

**Financial Highlights :**

The financial performance, for the year ended 31st March, 2023 is summarized as :

(रुपये लाख में / Rupees in Lakhs)

| विवरण | Particulars | वित्तीय वर्ष / FY2022-23 | वित्तीय वर्ष / FY2021-22 |
|---|---|---|---|
| प्रचालन से राजस्व (आय) (निवल) | Revenue from operations (net) | 125.67 | 5.05 |
| अन्य आय (ब्याज) | Other income (Interest) | 111.22 | 67.05 |
| **कुल राजस्व** | **TOTAL REVENUE** | **236.89** | **72.10** |
| व्यय | EXPENDITURE | 128.45 | 49.98 |
| असाधारण मदों से पूर्व लाभ / (हानि) | Profit/(Loss) before Extra Ordinary items | 108.45 | 22.11 |
| जोड़ें : अपवादात्मक वस्तुएं | Add: Exceptional Items | - | - |
| घटाएं: असाधारण मदें | Less: Extra-ordinary Items | - | - |
| घटाएं: कर–निर्धारण के लिए प्रावधान | Less: Provision for taxation | | |
| वर्तमान कर | Current Tax | 27.41 | 5.55 |
| गत वर्ष का कर | Earlier Years Tax | - | - |
| आस्थगित कर | Deferred Tax | - | - |
| **वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ / (हानि)** | **Profit/(Loss) after Tax for the year** | **81.04** | **16.56** |

3. **कंपनी कार्य का विवरण**

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी का कर देने के बाद चालू वित्तीय वर्ष में मुनाफा बढ़कर रु.0.81 करोड़ हो गया जोकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 0.16 करोड़ रुपये था। कंपनी की वर्तमान गतिविधियाँ मरम्मत और रखरखाव, राष्ट्रीय आयोजन संबंधित कार्य और अन्य विशेष परियोजनाएँ हैं जोकि आकस्मिक प्रकृति के कार्य हैं।

3. **STATE OF COMPANY'S AFFAIRS**

During the Financial Year under review, the profits of the Company after tax has increased from Rs. 0.16 Crore in the previous Financial Year to Rs. 0.81 Crore in the current Financial Year. Present activities of the Company are repair and maintenance, work related to national functions and other special project which are emergent nature work.

**लाभांशः**

आपकी कंपनी के निदेशकगणों ने समग्र रूप से प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया है कि यह विवेकपूर्ण होगा कि समीक्षाधीन वर्ष के लिए कोई लाभांश संस्तुत नहीं किया जाए।

**सावधि जमा**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के साथ पढ़ी गई धारा 73 और समय समय पर संशोधित कंपनी (जमा की स्वीकृति) अधिनियम, 2014 के अर्थ के तहत जनता से कोई निवेश स्वीकार नहीं किया है ।

**अंश पूँजी**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने ना ही प्राधिकृत अंश पूँजी बढ़ायी है और ना ही कोई शेयर जारी किए हैं इसलिए प्राधिकृत अंश पूँजी रु.10,00,00,000/– (प्रति रु.100/– की दर से 10,00,000 ईक्विटी शेयर में विभाजित) और प्रदत्त पूँजी रु.5,00,00,000/– (प्रति रु. 100/– की दर से 5,00,000 ईक्विटी शेयर में विभाजित) है ।

**आरक्षित**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा रु. 0.81 करोड़ का लाभ अर्जित किया और आरक्षित एंव अधिशेष लेखे में अंतरित किया। दिनांक 31 मार्च, 2023 को कुल आरक्षित रु. 8.79 करोड़ रहा।

**कॉरपोरेट गवर्नेंस**

आपकी कंपनी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि उत्तम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कार्य प्रणाली को पहचाना जाए, अपनाया जाए और उसका पालन किया जाए। आपकी कंपनी का मानना है कि सुशासन गवर्नेंस स्थायी विकास और हितधारक मूल्य में वृद्धि के लिए आधार है।

**निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक**

कंपनी का विधिवत गठन किया गया है जिसमें अध्यक्ष आयुक्त पुलिस, दिल्ली और प्रबंध निदेशक विशेष आयुक्त पुलिस, दिल्ली हैं।

**अ दिनांक 31.03.2023 को निदेशक मंडल का गठन**

क अध्यक्ष

श्री संजय अरोड़ा, आईपीएस, आयुक्त पुलिस, दिल्ली

ख प्रबंध निदेशक

श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, आईपीएस, विशेष आयुक्त पुलिस, दिल्ली ।

ग नामित निदेशक दिविप्रा की ओर से

श्री हरीश कुमार, निदेशक (आवासीय), दिल्ली विकास प्राधिकरण ।

घ नामित निदेशक गृह मंत्रालय की ओर से

श्री प्रवीन कुमार राय, निदेशक ( दिल्ली एवं दिपु ), गृह मंत्रालय, दिल्ली ।

**Dividend :**

The Board of Directors of your Company, after considering holistically the relevant circumstances has decided that it would be prudent, not to recommend any Dividend for the year under review.

**FIXED DEPOSITS**

During the year under review, the Company has not accepted any deposits from the public within the meaning of Section 73 read with Chapter V of the Companies Act, 2013 and Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2014 as amended from time to time.

**SHARE CAPITAL**

The Company, during the financial year under review, has not increased the authorised share capital and has not issued any further shares, so the authorised share capital stands at Rs. 10,00,00,000/- (divided into 10,00,000 equity shares of Rs. 100/- each) and paid up capital stands at Rs. 5,00,00,000/- (divided into 5,00,000 equity shares of Rs. 100/- each).

**RESERVES**

During the year under review, the company's profit of Rs. 0.81 crore was transferred to the Reserves and Surplus Account and Total reserves as on 31$^{st}$ March, 2023 stands at Rs. 8.79 crores.

**CORPORATE GOVERNANCE**

Your Company strives to ensure that best Corporate Governance practices are identified, adopted and consistently followed. Your company believes that good governance is the basis for sustainable growth of the business and for enhancement of stakeholder value.

**DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL**

The Board of the Company is duly constituted, consisting of Chairman, who is the Commissioner of Police, Delhi and Managing Director who is a Special Commissioner of Police, Delhi.

**A. Composition of the Board as on 31.03.2023**

a. Chairman

Shri Sanjay Arora, IPS Commissioner of Police, Delhi

b. Managing Director

Shri Surender Singh Yadav, IPS, Special Commissioner of Police, Delhi

c. Nominee Director on behalf of DDA

Shri Harish Kumarl, Director,(Housing) DDA

d. Nominee Director on behalf of MHA

Shri Praveen Kumar Rai, Director (Delhi & DP) MHA, New Delhi

ङ नामित निदेशक राराक्षेदि की ओर से
श्री अजय कुमार गुप्ता, आईएएस, विशेष सचिव (गृह –I) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
च नामित निदेशक
श्री दीपक अग्रवाल, आईएएस, सह सचिव (सीवीसी) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय।
छ अपर निदेशक
श्री देपेन्द्र पाठक, आईपीएस, विशेष आयुक्त पुलिस, दिल्ली ।

**ब निदेशको की रिपोर्ट के समय निदेशक मंडल का गठन**

क अध्यक्ष
श्री संजय अरोड़ा, आईपीएस, आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
ख प्रबंध निदेशक
श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, आईपीएस, विशेष आयुक्त पुलिस, दिल्ली ।
ग नामित निदेशक दिविप्रा की ओर से
श्री हरीश कुमार, निदेशक (आवासीय), दिल्ली विकास प्राधिकरण ।,
घ नामित निदेशक गृह मंत्रालय की ओर से
श्री प्रवीन कुमार राय, निदेशक ( दिल्ली एवं दिपु), गृह मंत्रालय, दिल्ली ।
ङ नामित निदेशक राराक्षेदि की ओर से
श्री अजय कुमार गुप्ता, आईएएस, विशेष सचिव (गृह –I) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ,
च नामित निदेशक
श्री दीपक अग्रवाल, आईएएस, सह सचिव (सीवीसी) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय।
छ अपर निदेशक
श्री देपेन्द्र पाठक, आईपीएस, विशेष आयुक्त पुलिस, दिल्ली ।

e. Nominee Director on behalf of GNCTD
Shri Ajay Kumar Gupta, IAS, Spl. Secretary (Home-I) GNCTD
f. Nominee Director
Shri Deepak Agarwal, IAS, Joint Secretary, (CVC) MoHUA
g. Additional Director
Shri Dependra Pathak, IPS, Spl. Commissioner of Police, Delhi

**B. Composition of the Board as on date of Director's Report**

a. Chairman
Shri Sanjay Arora, IPS Commissioner of Police, Delhi
b. Managing Director
Shri Neeeaj Thakur, IPS, Spl. Commissioner of Police, Delhi
c. Nominee Director on behalf of DDA
Shri Harish Kumar, Director,(Housing) DDA
d. Nominee Director on behalf of MHA
Shri Praveen Kumar Rai, Director (Delhi & DP) MHA, New Delhi
e. Nominee Director on behalf of GNCTD
Shri Ajay Kumar Gupta, IAS, Spl. Secretary (Home-I) GNCTD.
f. Nominee Director
Shri Deepak Agarwal, IAS, Joint Secretary, (CVC) MoHUA
g. Additional Director
Shri Dependra Pathak, IPS, Spl. Commissioner of Police, Delhi

**ग. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :–**

**C. Change in composition of Board of Directors of the Company during the period under review.**

| क्रमांक S. No. | दिनांक Date | विवरण Particulars |
|---|---|---|
| 1 | 5/4/22 | श्री जसपाल सिंह, आईपीएस, विशेष आयुक्त पुलिस, दिल्ली दिनांक 5/4/2022 से उनके स्थानांतरण के कारण कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया । Shri Jaspal Singh, IPS, Special Commissioner of Police, Delhi ceased to be Managing Director of the Company due to his transfer w.e.f. 5/4/2022. |
| 2 | 12/4/22 | श्री वेद प्रकाश, सह सचिव (कार्य) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को दिनांक 12/4/2022 को कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया । Shri Ved Prakash, Joint Secretary (Works), MoHUA, New Delhi was appointed as a Nominee Director w.e.f. 12/4/2022 |
| 3 | 17/5/22 | श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, आईपीएस, विशेष आयुक्त पुलिस (ट्रैफिक जोन–II) दिल्ली को दिनांक 17/5/2022 को कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया । Shri Surender Singh Yadav, IPS, Special Commissioner of Police (Traffic Zone-II) was appointed as Managing Director w.e.f. 17/5/2022. |

| क्रमांक S. No. | दिनांक Date | विवरण Particulars |
|---|---|---|
| 4 | 31/7/22 | श्री राकेश अस्थाना, आईपीएस, आयुक्त पुलिस, दिल्ली का दिनांक 31/7/2022 से उनके अधिवर्षिता के कारण कंपनी के निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया । Shri Rakesh Asthana, IPS, Commissioner of Police, Delhi, Director of the company was ceased to be a Director w.e.f. 31/7/2022 due to his Superannuation. |
| 5 | 12/9/22 | श्री संजय अरोड़ा, आईपीएस, आयुक्त पुलिस, दिल्ली दिनांक 12/9/2022 को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया । Shri Sanjay Arora, IPS, Commissioner of Police, Delhi, was appointed as a Director of the Company w.e.f. 12/9/2022. |
| 6 | 13/9/22 | श्री वेद प्रकाश, सह सचिव (कार्य) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय नई दिल्ली का दिनांक 13/9/2022 को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण कंपनी के नामित निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया । Shri Ved Prakash, Joint Secretary (works), MoHUA, New Delhi was ceased to be a Nominee Director w.e.f. 13/9/2022 due to Nomination withdrawn by appointing authority. |
| 7 | 30/9/22 | श्री देपेन्द्र पाठक, आईपीएस, विशेष आयुक्त पुलिस, दिल्ली को दिनांक 30/9/2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के तहत पद रिक्ति के कारण कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया । Shri Dependra Pathak, IPS, Spl. Commissioner of Police, Delhi was ceased to be an Additional Director w.e.f. 30/9/2022 due to Vacation of office u/s 161 of Companies Act, 2013. |
| 8 | 30/9/22 | श्री संजय बेनीवाल, आईपीएस, विशेष आयुक्त पुलिस, दिल्ली को दिनांक 30/9/2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के तहत पद रिक्ति के कारण कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। Shri Sanjay Baniwal, IPS, Spl. Commissioner of Police, Delhi was ceased to be an Additional Director w.e.f. 30/9/2022 due to Vacation of office u/s 161 of Companies Act, 2013. |
| 9 | 21/10/22 | श्री श्री प्रकाश अग्रवाल, निदेशक (गृह–II) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली का दिनांक 21/10/2022 को नामित निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। Sh. Shri Prakash Agarwal,Director (H-II) DDA, New Delhi was ceased to be Nominee Director w.e.f 21/10/2022. |
| 10 | 10/11/22 | श्री दीपक अग्रवाल, सह सचिव (सीवीसी) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को दिनांक 10/11/2022 को कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया । Shri Deepak Agarwal Joint Secretary, (CVC) MoUHA was appointed as Nominee Director w.e.f. 10/11/2022. |
| 11 | 17/11/22 | श्री हरीश कुमार, निदेशक (आवासीय), दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिनांक 17/11/2022 को कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया । Shri Harish Kumar, Director (Housing), DDA was appointed as Nominee Director w.e.f. 17/11/2022. |
| 12 | 7/3/23 | श्री देपेन्द्र पाठक, आईपीएस, विशेष आयुक्त पुलिस, दिल्ली को दिनांक 7/3/2023 को कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया । Shri Dependra Pathak, IPS, Spl. Commissioner of Police, Delhi was appointed as an Additional Director w.e.f. 07/03/2023. |

**स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा**

स्वतंत्र निदेशक संबंधी कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएँ) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और 149(7) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है ।

**DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTORS**

Provisions of Section 149(6) & 149(7) of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, related to independent directors, are not applicable to the Company.

## वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक मंडल और समिति की बैठक

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक मंडल की बैठक और समिति की बैठकों की संख्या कॉरपोरेट गवर्नेंस का एक भाग है

### i) बोर्ड मीटिंग

बोर्ड के सदस्य तिमाही में कम से कम एक बार मिलते हैं, जिसमें 120 दिनों से अधिक का अंतराल नहीं होता है। यहां दिए गए विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक मंडल की पाँच (5) बैठकें नीचे दिए अनुसार हुईं:

| क्रम संख्या | निदेशक मंडल की बैठक की तारीख | दो बैठकों के बीच समय अंतराल |
|---|---|---|
| 1 | 19 अप्रैल, 2022 | 120 दिनों से कम दिन में |
| 2 | 24 जून, 2022 | 120 दिनों से कम दिन में |
| 3 | 21 अक्टूबर, 2022 | 120 दिनों से कम दिन में |
| 4 | 13 दिसंबर, 2022 | 120 दिनों से कम दिन में |
| 5 | 7 मार्च, 2023 | 120 दिनों से कम दिन में |

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों की उपस्थिति का ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं:–

## DETAILS OF BOARD AND COMMITTEE MEETINGS HELD DURING THE FINANCIAL YEAR 2022-2023:

The details pertaining to the number of Board and Committee Meetings held during the Financial Year 2022-23 forms part of the Corporate Governance Section.

### i) Board Meetings

The Board members meets at least once a quarter with not more than a gap of 120 days. Board met Five (5) times during the Financial Year 2022-23 as per details given hereunder:

| Sl. No. | Date of Board Meeting | Time Gap between two meetings |
|---|---|---|
| 1 | 19th April, 2022 | Less than 120 days |
| 2 | 24th June, 2022 | Less than 120 days |
| 3 | 21st October, 2022 | Less than 120 days |
| 4 | 13th December, 2022 | Less than 120 days |
| 5 | 7th March, 2023 | Less than 120 days |

Details of attendance of Directors in Board Meetings held during the Financial Year 2022-23 are as under:

| क्रम संख्या<br>Sl. No. | निदेशक का नाम<br>Name of the Director | डिन संख्या<br>DIN No. | बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति का विवरण और तिमाही वार बोर्ड बैठकों की तारीख<br>Attendance particulars in Board Meetings and Quarter wise Board Meetings dates | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री राकेश अस्थाना, आईपीएस (निदेशक)<br>Sh. Rakesh Asthana, IPS (Director)<br>(दिनांक 01-10-2021 से 31-07-2022 तक)<br>(Appointed on 01.10.2021 & Ceased on 31.07.2022) | 09311328 | बैठक / Meetings | | | |
| | | | बैठकों में भाग लेने का अधिकार / Meetings entitled to attend | | | 2 |
| | | | उपस्थिति / Attended | | | 2 |
| | | | 1ली तिमाही 1st Qtr. | 2री तिमाही 2nd Qtr. | 3री तिमाही 3rd Qtr. | 4थी तिमाही 4th Qtr. |
| | | | 19.04.2022 | 24.06.2022 | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 2 | श्री संजय बेनीवाल, आईपीएस (अपर निदेशक)<br>Sh. Sanjay Baniwal, IPS (Additional Director)<br>(दिनांक 03-02-2022 से 30-09-2022 तक)<br>(Appointed on 03.02.2022 & Ceased on30.09.2022) | 09489091 | बैठक / Meetings | | | |
| | | | बैठकों में भाग लेने का अधिकार / Meetings entitled to attend | | | 2 |
| | | | उपस्थिति / Attended | | | 2 |
| | | | 1ली तिमाही 1st Qtr. | 2री तिमाही 2nd Qtr. | 3री तिमाही 3rd Qtr. | 4थी तिमाही 4th Qtr. |
| | | | 19.04.2022 | 24.06.2022 | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 3 | श्री दिपेन्द्र पाठक, आईपीएस (अपर निदेशक)<br>Sh. Dependra Pathak, IPS (Additional Director)<br>(दिनांक 03.02.2022 से 30.09.2022 तक बाद में 07.03.2023 को पुनः नियुक्त किया गया)<br>(Appointed on 03.02.2022 & Ceased on 30.09.2022, Later further re-appointed on 07.03.2023) | 01865053 | बैठक / Meetings | | | |
| | | | बैठकों में भाग लेने का अधिकार / Meetings entitled to attend | | | 3 |
| | | | उपस्थिति / Attended | | | 3 |
| | | | 1ली तिमाही 1st Qtr. | 2री तिमाही 2nd Qtr. | 3री तिमाही 3rd Qtr. | 4थी तिमाही 4th Qtr. |
| | | | 19.04.2022 | 24.06.2022 | - | - |
| | | | - | - | - | 7.03.2023 |

<table>
<tr><th>क्रम संख्या<br>Sl. No.</th><th>निदेशक का नाम<br>Name of the Director</th><th>डिन संख्या<br>DIN No.</th><th colspan="4">बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति का विवरण और तिमाही वार बोर्ड बैठकों की तारीख<br>Attendance particulars in Board Meetings and Quarter wise Board Meetings dates</th></tr>
<tr><td rowspan="6">4</td><td rowspan="6">श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, आईपीएस<br>विशेष आयुक्त पुलिस<br>(प्रबंध निदेशक)<br>Shri Surender Singh Yadav, IPS,<br>Special Commissioner of Police<br>(Managing Director)<br>(दिनांक 17-05-2022 )<br>(Appointed 17.05.2022)</td><td rowspan="6">09608684</td><td colspan="4">बैठक / Meetings</td></tr>
<tr><td colspan="3">बैठकों में भाग लेने का अधिकार / Meetings entitled to attend</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="3">उपस्थिति / Attended</td><td>4</td></tr>
<tr><td>1ली तिमाही<br>1st Qtr.</td><td>2री तिमाही<br>2nd Qtr.</td><td>3री तिमाही<br>3rd Qtr.</td><td>4थी तिमाही<br>4th Qtr.</td></tr>
<tr><td>-</td><td>24.06.2022</td><td>21.10.2022</td><td>13.12.2022</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>07.03.2023</td></tr>
<tr><td rowspan="6">5</td><td rowspan="6">श्री अजय कुमार गुप्ता, आईएएस<br>विशेष सचिव (गृह) राराक्षेदि<br>(नामित निदेशक)<br>Sh. Ajay Kumar Gupta, IAS<br>Spl. Secretary (Home) GNCTD<br>(दिनांक 22-01-2021)<br>(Nominee Director)<br>(Appointed on 22.01.2021)</td><td rowspan="6">09040183</td><td colspan="4">बैठक / Meetings</td></tr>
<tr><td colspan="3">बैठकों में भाग लेने का अधिकार / Meetings entitled to attend</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">उपस्थिति / Attended</td><td>4</td></tr>
<tr><td>1ली तिमाही<br>1st Qtr.</td><td>2री तिमाही<br>2nd Qtr.</td><td>3री तिमाही<br>3rd Qtr.</td><td>4थी तिमाही<br>4th Qtr.</td></tr>
<tr><td>19.04.2022</td><td>24.06.2022</td><td>-</td><td>13.12.2022</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>07.03.2023</td></tr>
<tr><td rowspan="6">6</td><td rowspan="6">श्री वेद प्रकाश, सह सचिव (कार्य)<br>आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय नई दिल्ली<br>(नामित निदेशक)<br>Shri Ved Prakash, Joint Secretary<br>(works), MoHUA, New Delhi<br>(Nominee Director)<br>(दिनांक 12.04.2022 से 13.09.2022 तक)<br>(Appointed on 12.04.2022 & Ceased on 13.09.2022)</td><td rowspan="6">09569298</td><td colspan="4">बैठक / Meetings</td></tr>
<tr><td colspan="3">बैठकों में भाग लेने का अधिकार / Meetings entitled to attend</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3">उपस्थिति / Attended</td><td>1</td></tr>
<tr><td>1ली तिमाही<br>1st Qtr.</td><td>2री तिमाही<br>2nd Qtr.</td><td>3री तिमाही<br>3rd Qtr.</td><td>4थी तिमाही<br>4th Qtr.</td></tr>
<tr><td>19.04.2022</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">7</td><td rowspan="6">श्री प्रवीन कुमार राय, निदेशक<br>(एच–II) दिविप्र, नई दिल्ली<br>(नामित निदेशक)<br>Sh. Praveen Kumar Rai Director<br>(H-II) DDA New Delhi<br>(Nominee Director)<br>(दिनांक 19.01.2022 )<br>(Appointed on 19.01.2022)</td><td rowspan="6">09472469</td><td colspan="4">बैठक / Meetings</td></tr>
<tr><td colspan="3">बैठकों में भाग लेने का अधिकार / Meetings entitled to attend</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">उपस्थिति / Attended</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1ली तिमाही<br>1st Qtr.</td><td>2री तिमाही<br>2nd Qtr.</td><td>3री तिमाही<br>3rd Qtr.</td><td>4थी तिमाही<br>4th Qtr.</td></tr>
<tr><td>19.04.2022</td><td>24.06.2022</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>07.03.2023</td></tr>
<tr><td rowspan="6">8</td><td rowspan="6">श्री संजय अरोड़ा, आईपीएस<br>आयुक्त पुलिस दिल्ली<br>(निदेशक)<br>Shri Sanjay Arora, IPS,<br>Commissioner of Police, Delhi<br>(Director)<br>(दिनांक 12-09-2022 )<br>(Appointed 12.09.2022)</td><td rowspan="6">09734568</td><td colspan="4">बैठक / Meetings</td></tr>
<tr><td colspan="3">बैठकों में भाग लेने का अधिकार / Meetings entitled to attend</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">उपस्थिति / Attended</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1ली तिमाही<br>1st Qtr.</td><td>2री तिमाही<br>2nd Qtr.</td><td>3री तिमाही<br>3rd Qtr.</td><td>4थी तिमाही<br>4th Qtr.</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>21.10.2022</td><td>13.12.2022</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>07.03.2023</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्रम संख्या<br>Sl. No.</th><th>निदेशक का नाम<br>Name of the Director</th><th>डिन संख्या<br>DIN No.</th><th colspan="4">बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति का विवरण और तिमाही वार बोर्ड बैठकों की तारीख<br>Attendance particulars in Board Meetings and Quarter wise Board Meetings dates</th></tr>
<tr><td rowspan="6">9</td><td rowspan="6">श्री दीपक अग्रवाल, सह सचिव (सीवीसी) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय नई दिल्ली (नामित निदेशक)<br>Shri Deepak Agarwal, Joint Secretary (CVC), MoHUA, New Delhi (Nominee Director)<br>(दिनांक 10.11.2022)<br>(Appointed on 10.11.2022)</td><td rowspan="6">07321522</td><td colspan="4">बैठक / Meetings</td></tr>
<tr><td colspan="3">बैठकों में भाग लेने का अधिकार / Meetings entitled to attend</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3">उपस्थिति / Attended</td><td>2</td></tr>
<tr><td>1ली तिमाही<br>1st Qtr.</td><td>2री तिमाही<br>2nd Qtr.</td><td>3री तिमाही<br>3rd Qtr.</td><td>4थी तिमाही<br>4th Qtr.</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>13.12.2022</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>07.03.2023</td></tr>
<tr><td rowspan="6">10</td><td rowspan="6">श्री हरीश कुमार, निदेशक (आवासीय) दिविप्रा, नई दिल्ली (नामित निदेशक)<br>Sh. Harish Kumar, Director (Housing) DDA New Delhi (Nominee Director)<br>(दिनांक 17.11.2022 )<br>(Appointed on 17.11.2022)</td><td rowspan="6">09794440</td><td colspan="4">बैठक / Meetings</td></tr>
<tr><td colspan="3">बैठकों में भाग लेने का अधिकार / Meetings entitled to attend</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3">उपस्थिति / Attended</td><td>2</td></tr>
<tr><td>1ली तिमाही<br>1st Qtr.</td><td>2री तिमाही<br>2nd Qtr.</td><td>3री तिमाही<br>3rd Qtr.</td><td>4थी तिमाही<br>4th Qtr.</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>13.12.2022</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>07.03.2023</td></tr>
<tr><td rowspan="6">11</td><td rowspan="6">श्री श्री प्रकाश अग्रवाल, निदेशक (आवासीय) दिविप्रा, नई दिल्ली (नामित निदेशक)<br>Sh. Shri Prakash Agarwal, Director (Housing) DDA New Delhi (Nominee Director)<br>(दिनांक 19.08.2020 से 21.10.2022 तक)<br>(Appointed on 19.08.2020 & Ceased on 21.10.2022)</td><td rowspan="6">08839355</td><td colspan="4">बैठक / Meetings</td></tr>
<tr><td colspan="3">बैठकों में भाग लेने का अधिकार / Meetings entitled to attend</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3">उपस्थिति / Attended</td><td>2</td></tr>
<tr><td>1ली तिमाही<br>1st Qtr.</td><td>2री तिमाही<br>2nd Qtr.</td><td>3री तिमाही<br>3rd Qtr.</td><td>4थी तिमाही<br>4th Qtr.</td></tr>
<tr><td>19.04.2022</td><td>24.06.2022</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">12</td><td rowspan="6">श्री जसपाल सिंह, आईपीएस विशेष आयुक्त पुलिस (प्रबंध निदेशक)<br>Shri Jaspal Singh, IPS, Special Commissioner of Police (Managing Director)<br>(दिनांक 14.12.2021 से 05.04.2022 तक)<br>(Appointed on 14.12.2021 & Ceased on 05.04.2022)</td><td rowspan="6">09434670</td><td colspan="4">बैठक / Meetings</td></tr>
<tr><td colspan="3">बैठकों में भाग लेने का अधिकार / Meetings entitled to attend</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">उपस्थिति / Attended</td><td>0</td></tr>
<tr><td>1ली तिमाही<br>1st Qtr.</td><td>2री तिमाही<br>2nd Qtr.</td><td>3री तिमाही<br>3rd Qtr.</td><td>4थी तिमाही<br>4th Qtr.</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>

## लेखा परीक्षा समिति के गठन का प्रकटन

**Disclosure Of Composition Of Audit Committee:**

दिनांक 19.04.2022 को पहली लेखा परीक्षा समिति का गठन:

A. Composition of 1st Audit Committee as on 19.04.2022:

| क्रम संख्या<br>Sl. No. | समिति के सदस्यों का नाम<br>Name of the Committee Member | समिति के पदनाम<br>Designation on the Committee | बोर्ड के लिए पदनाम<br>Designation on the Board |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री राकेश अस्थाना, (आयुक्त पुलिस, दिल्ली)<br>Sh. Rakesh Asthana (Commissioner of Police, Delhi) | अध्यक्ष<br>Chairman | निदेशक<br>Director |
| 2 | श्री श्री प्रकाश अग्रवाल, निदेशक (आवासीय) दिविप्रा, दिल्ली<br>Sh. Shri Prakash Agarwal, Director (Housing) DDA New Delhi | समिति सदस्य<br>Committee Member | नामित निदेशक<br>Nominee Director |

19 जून 2022 को आयोजित वित्तीय वर्ष 22–23 की पहली लेखा परीक्षा समिति की बैठक और उसकी उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है।

The details pertaining to 1st Audit Committee Meeting of Financial Year 22-23 held on 19th Day of June, 2022 and attendance thereof is mentioned below:

| क्रम संख्या<br>Sl. No. | निदेशक का नाम<br>Name of Director | डीन सं.<br>DIN No. | बोर्ड के लिए पदनाम<br>Attendance in Audit Committee Meetings |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री राकेश अस्थाना, (आयुक्त पुलिस, दिल्ली)<br>Sh. Rakesh Asthana, (Commissioner of Police, Delhi) | 09311328 | 19.04.2022 |
| 2 | श्री श्री प्रकाश अग्रवाल, निदेशक (आवासीय) दिविप्रा, दिल्ली<br>Sh. Shri Prakash Agarwal, Director (Housing) DDA New Delhi | 08839355 | 19.04.2022 |

दिनांक 24.06.2022 को दूसरी लेखा परीक्षा समिति का गठनः

B. Composition of 2nd Audit Committee as on 24.06.2022:

| क्रम संख्या<br>Sl. No. | समिति के सदस्यों का नाम<br>Name of the Committee Member | समिति के पदनाम<br>Designation on the Committee | बोर्ड के लिए पदनाम<br>Designation on the Board |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री राकेश अस्थाना, (आयुक्त पुलिस, दिल्ली)<br>Sh. Rakesh Asthana, (Commissioner of Police, Delhi) | अध्यक्ष<br>Chairman | निदेशक<br>Director |
| 2 | श्री श्री प्रकाश अग्रवाल, निदेशक (आवासीय) दिविप्रा, दिल्ली<br>Sh. Shri Prakash Agarwal, Director(Housing) DDA New Delhi | समिति सदस्य<br>Committee Member | नामित निदेशक<br>Nominee Director |
| 3 | श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, (विशेष आयुक्त पुलिस, दिल्ली)<br>Shri Surender Singh Yadav, (Special Commissioner of Police,Delhi) | समिति सदस्य<br>Committee Member | प्रबंध निदेशक<br>Managing Director |

24 जून 2022 को आयोजित वित्तीय वर्ष 2022–23 की दूसरी लेखा परीक्षा समिति की बैठक और उसकी उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है।

The details pertaining to 2nd Audit Committee Meeting of Financial Year 22-23 held on 24th Day of June, 2022 and attendance thereof is mentioned below:

| क्रम संख्या<br>Sl. No. | निदेशक का नाम<br>Name of Director | डीन सं.<br>DIN No. | बोर्ड के लिए पदनाम<br>Attendance in Audit Committee Meetings |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री राकेश अस्थाना, (आयुक्त पुलिस, दिल्ली)<br>Sh. Rakesh Asthana, (Commissioner of Police, Delhi) | 09311328 | 24.06.2022 |
| 2 | श्री श्री प्रकाश अग्रवाल, निदेशक (आवासीय) दिविप्रा, दिल्ली<br>Sh. Shri Prakash Agarwal, Director (Housing) DDA New Delhi | 08839355 | 24.06.2022 |
| 3 | श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, (विशेष आयुक्त पुलिस, दिल्ली)<br>Shri Surender Singh Yadav, (Special Commissioner of Police,Delhi) | 09608684 | 24.06.2022 |

दिनांक 13.12.2022 को लेखा परीक्षा समिति का गठनः

C. Composition of Audit Committee as on 13.12.2022:

| क्रम संख्या<br>Sl. No. | समिति के सदस्यों का नाम<br>Name of the Committee Member | समिति के पदनाम<br>Designation on the Committee | बोर्ड के लिए पदनाम<br>Designation on the Board |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री संजय अरोड़ा, आईपीएस, (आयुक्त पुलिस, दिल्ली)<br>Sh. Sanjay Arora, IPS (Commissioner of Police, Delhi) | अध्यक्ष / सदस्य<br>Chairman/Member | निदेशक<br>Director |
| 2 | श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, आईपीएस, (विशेष आयुक्त पुलिस, दिल्ली)<br>Shri Surender Singh Yadav, IPS, (Special Commissioner of Police,Delhi) | समिति सदस्य<br>Committee Member | प्रंबध निदेशक<br>Managing Director |
| 3 | श्री प्रवीन कुमार राय, निदेशक (आवासीय–II) दिविप्रा, दिल्ली<br>Sh. Praveen Kumar Rai, Director (Housing-II) DDA New Delhi | समिति सदस्य<br>Committee Member | नामित निदेशक<br>Nominee Director |

13 दिसंबर 2022 को आयोजित वित्तीय वर्ष 2022–23 की तीसरी लेखा परीक्षा समिति की बैठक और उसकी उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है।

The details pertaining to 3rd Audit Committee Meeting of Financial Year 22-23 held on 13th Day of December, 2022 and attendance thereof is mentioned below:

| क्रम संख्या<br>Sl. No. | निदेशक का नाम<br>Name of Director | डीन सं.<br>DIN No. | बोर्ड के लिए पदनाम<br>Attendance in Audit Committee Meetings |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री संजय अरोड़ा, आईपीएस, (आयुक्त पुलिस, दिल्ली)<br>Sh. Sanjay Arora, IPS (Commissioner of Police, Delhi) | 09734568 | 13.12.2022 |
| 2 | श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, आईपीएस, (विशेष आयुक्त पुलिस, दिल्ली)<br>Shri Surender Singh Yadav, IPS, (Special Commissioner of Police,Delhi) | 09608684 | 13.12.2022 |

दिनांक 07.03.2023 को लेखा परीक्षा समिति का गठनः

D. Composition of Audit Committee as on 07.03.2023:

| क्रम संख्या<br>Sl. No. | समिति के सदस्यों का नाम<br>Name of the Committee Member | समिति के पदनाम<br>Designation on the Committee | बोर्ड के लिए पदनाम<br>Designation on the Board |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री संजय अरोड़ा, आईपीएस, (आयुक्त पुलिस, दिल्ली)<br>Sh. Sanjay Arora, IPS (Commissioner of Police, Delhi) | अध्यक्ष / सदस्य<br>Chairman/Member | निदेशक<br>Director |
| 2 | श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, आईपीएस, (विशेष आयुक्त पुलिस, दिल्ली)<br>Shri Surender Singh Yadav, IPS, (Special Commissioner of Police,Delhi) | समिति सदस्य<br>Committee Member | प्रंबध निदेशक<br>Managing Director |
| 3 | श्री प्रवीन कुमार राय, निदेशक (आवासीय–II) दिविप्रा, दिल्ली<br>Sh. Praveen Kumar Rai, Director (Housing-II) DDA New Delhi | समिति सदस्य<br>Committee Member | नामित निदेशक<br>Nominee Director |

7 मार्च 2023 को आयोजित वित्तीय वर्ष 2022–23 की चतुर्थ लेखा परीक्षा समिति की बैठक और उसकी उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है।

The details pertaining to 4th Audit Committee Meeting of Financial Year 22-23 held on 7th Day of March, 2023 and attendance there of is mentioned below:

| क्रम संख्या<br>Sl. No. | निदेशक का नाम<br>Name of Director | डीन सं.<br>DIN No. | बोर्ड के लिए पदनाम<br>Attendance in Audit Committee Meetings |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री संजय अरोड़ा, आईपीएस, (आयुक्त पुलिस, दिल्ली)<br>Sh. Sanjay Arora, IPS (Commissioner of Police, Delhi) | 09734568 | 07.03.2023 |
| 2 | श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, आईपीएस, (विशेष आयुक्त पुलिस, दिल्ली)<br>Shri Surender Singh Yadav, IPS, (Special Commissioner of Police,Delhi) | 09608684 | 07.03.2023 |
| 3 | श्री प्रवीन कुमार राय, निदेशक (आवासीय–II) दिविप्रा, दिल्ली<br>Sh. Praveen Kumar Rai, Director (Housing-II) DDA New Delhi | 09472469 | 07.03.2023 |

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया। लेखा परीक्षा समिति का गठन और संदर्भ की शर्तें अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार हैं ।

समिति का प्राथमिक उद्देश्य प्रबंध वित्तीय रिपोर्टिंग की उच्च स्तरीय पारदर्शिता, ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ अचूक एवं समय से प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए समिति की वित्तीय प्रक्रिया को अनुवीक्षण करना और प्रभावी पर्यवेक्षण करना है।

**नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति**

'नामांकन और पारिश्रमिक समिति' संबंधी कंपनी(बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते ।

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधान के अनुसरण में 'हितधारक संबंध समिति' कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि कंपनी के पास कभी भी 1000 से अधिक शेयरधारक, डिबेंचर–धारक, निवेश–धारक और अन्य कोई प्रतिभूति–धारक नहीं है ।

**कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति**

कंपनी, कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत नहीं आती है, अतः निगम को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों पर योगदान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

**प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक तथा कर्मचारियों का विवरण**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और अनुसूची V के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने कंपनी के निदेशकों को किसी भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है ।

**बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन**

कंपनी के निदेशक मंडल और उसकी समितियों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन संबंधी कंपनी (लेखा) नियम, 2014 की धारा 134(3)(पी) और नियम 8(4) के प्रावधान लागू नहीं है क्योंकि न तो सूचीबद्ध कंपनी है जबकि सार्वजनिक कंपनी है, जिसकी शेयर पूँजी रु॰ 25 करोड़ या उससे अधिक नहीं है ।

**महिला निदेशक**

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अनुसार कंपनी को महिला निदेशक के प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

All the recommendations of the Audit Committee were accepted by the Board of Directors of the company, during the Financial Year 2022-23. The composition and the terms of reference of the audit committee is as per the applicable provisions of the Act.

The primary objective of the committee is to monitor and provide an effective supervision of the Management's financial reporting process, to ensure accurate and timely disclosures, with the highest level of transparency, integrity and quality of financial reporting.

**NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE AND STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE**

Provisions of Section 178 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Meetings of Board and its Power) Rules, 2014, relating to 'Nomination & Remuneration Committee' do not apply to the company.

Pursuant to Section 178 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Meetings of Board and its Power) Rules 2014, 'Stakeholders Relationship Committee' is not applicable on the company as the company does not have more than 1,000 shareholders, Debenture-holders, Deposit-holders and any other security-holders at any time.

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE**

Company does not fall under the criteria as laid down under Section 135 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, therefore, there was no requirement to contribute under Corporate Social Responsibility.

**REMUNERATION PAID TO MANAGERIAL PERSONNEL AND PARTICULARS OF EMPLOYEES**

As per the Provisions of Section 197 and schedule V of the Campany Act, 2013 during the financial year 2022-23, the Company has not paid any managerial remuneration to the Directors of the Company during the Year.

**EVALUATION OF BOARD PERFORMANCE**

Provisions of Section 134(3) (p) and Rule 8(4) of Companies (Accounts) Rules, 2014 related to formal annual evaluation of Board of Directors and its Committees are not applicable, as the Company is neither a listed company however Company is a public company but does not have a paid-up share capital of Rs. 25 crores or more.

**WOMAN DIRECTOR**

Pursuant to Section 149 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the company is not required to comply with the provisions of Woman Director.

## लेखा परीक्षक

### सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स बीजीजेसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी, सनदी लेखाकार (एफआरएन सं. 003304एन) को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अपने पत्र सं. सीए.वी/सीओवाई / केन्द्रीय सरकार. डीपीएचसी (I) / 439 दिनांक 29.08.2022 के माध्यम से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक(सीएजी) द्वारा कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था ।

### लागत लेखापरीक्षक

कंपनी, लागत लेखा परीक्षा की गणना के उद्देश्य के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–148, समय–समय पर संशोधित (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों में नहीं आती है ।

### सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी, सचिवीय लेखा परीक्षा करने के उद्देश्य के लिए, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–204 के अंतर्गत निर्धारित और समय–समय पर संशोधित मानदंडों के अंतर्गत नहीं आती है

### आंतरिक लेखापरीक्षक

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–138 के अनुसरण में कंपनी को आंतरिक लेखा परीक्षा को आयोजित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक को नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है ।

### लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और स्पष्टीकरण या अर्हताओं, आरक्षण या लेखापरीक्षकों द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियाँ अथवा खंडन यदि हो

### i) सांविधिक लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई योग्यता टिप्पणी नहीं है, हालांकि, महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामले हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में प्रमुख लेखा परीक्षा मामले स्व–व्याख्यात्मक है, और इसके अलावा, वैधानिक लेखा परीक्षकों ने कुछ मामलों पर जोर दिया है। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर बोर्ड के विचार अनुलग्नक–I में दिए गए हैं जो इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

### ii) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षाः

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपने दिनांक 01.08.2023 के पत्र संख्या सीए 2–30 डीपीएचसीएल 23–24 / 113 के माध्यम से कंपनी को सूचित किया था कि उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा–परीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है और समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी के खातों पर सीएजी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं दी गई।

## AUDITORS

### Statutory Auditor

M/s BGJC & Associates LLP, Chartered Accountants (FRN No.: 003304N) was appointed as the Statutory Auditors of the Company by the Comptroller and Auditor General of India (CAG) vide its letter no. CA.V/COY/CENTRAL. GOVERNMENT. DPHC(I)/ 439, dated 29.08.2022 for the Financial Year 2022-2023.

### Cost Auditor

The Company does not fall in the criteria as laid down under Section 148 of the Companies Act, 2013, the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 as amended from time to time, for the purpose of carrying out Cost Audit.

### Secretarial Audit

The Company does not fall in the criteria as laid down under Section 204 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, as amended from time to time, for the purpose of carrying out Secretarial Audit.

### Internal Auditor

Pursuant to Section 138 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Accounts) Rules, 2014, the company is not required to appoint Internal Auditor to conduct Internal Audit.

### Auditor's Report And Explanation Or Comments On Qualifications, Reservations Or Adverse Remarks Or Disclaimers, if any, Made By The Auditors

### i) Statutory Audit Report

The auditor’s report has no qualifying remarks, however, have key audit matters. The key audit matters in the Auditors Report of the Company for the financial year 2022-23, are self-explanatory and apart from this, statutory auditors have emphasized on few matters. The Boards views on the such emphasized matters are provided in Annexure-I which forms part of this report.

### ii) Comptroller and Auditor General of India (CAG) Audit Report:

The Comptroller and Auditor General of India (CAG) vide its letter no CA/2-30/DPHCL/2023-24/113 dated 01.08.2023 had intimated to the company that they have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of the company for the year ended 31st March2023 under section 143(6)(a) of the Companies Act, 2013 and no comments were communicated by the CAG on the accounts of the Company for the period under review.

## सूचना प्रदाता / सतर्कता तंत्र नीति

निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र संबंधी कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–177 (9) के प्रावधान लागू कंपनी पर नहीं है, क्योंकि कंपनी न ही सूचीबद्ध कंपनी है और न ही इसने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से रु0 50 करोड़ से अधिक की सार्वजनिक जमा राशि या उधार पैसा स्वीकार किया है।

## जोखिम प्रबंधन नीति

कंपनी जिस क्षेत्र में काम कर रही है, उसमें निहित जोखिमों को कम करने के लिए कंपनी के पास अपने सभी परिचालनों में अंतर्निहित तंत्र है।

## सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धता

कंपनी के वित्तीय वर्ष, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के बीच कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता नहीं हुई, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकती हो।

## आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी के पास अपनी संपत्तियों की सुरक्षा, नुकसान, अनधिकृत उपयोग या निपटान से सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है ।

सभी लेन–देन ठीक से अधिकृत, रिकॉर्ड किए गए हैं और प्रबंधन को रिपोर्ट किए गए हैं । कंपनी बही–खातों की पुस्तकों को ठीक से बनाए रखने और वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के लिए सभी लागू लेखा मानकों का पालन कर रही है । कंपनी का प्रबंधन आंतरिक नियंत्रण की जाँच करता है और उसकी पुष्टि करता है और कंपनी द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार उनकी निगरानी करता है । कंपनी अपने आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप उचित और पर्याप्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना जारी रखती है ।

## व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी की व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं था ।

## ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–186 के अंतर्गत कंपनी द्वारा ऋण, गारंटी अथवा निवेश नहीं किया गया।

## सहायक / संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनियाँ तथा उनका निश्पादन एवं वित्तीय स्थिति

कंपनी की कोई सहायक / संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनी नहीं है और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कोई कंपनी होल्डिंग, सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम

## WHISTLE BLOWER/VIGIL MECHANISM POLICY

Provisions of Section 177(9) of the Companies Act, 2013 read with Companies (Meetings of Board and its Power) Rules, 2014, related to establishment of vigil mechanism for directors and employees are not applicable, as the company is neither a listed company nor it has accepted public deposits or borrowed money from banks and financial institutions in excess of Rs. 50 Crores.

## RISK MANAGEMENT POLICY

The Company has in-built mechanism in all its operations to mitigate risks inherent to the industry in which the company is operating.

## MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT

No material changes and commitments occurred, which may affect the financial position of the Company, between the end of the financial year of the Company to which the financial statements relate and the date of the report.

## INTERNAL FINANCIAL CONTROL SYSTEM

The Company has adequate system of internal control to safeguard and protect from loss, unauthorized use or disposition of its assets.

All the transactions are properly authorized, recorded and reported to the Management. The Company is following all the applicable Accounting Standards for properly maintaining the books of accounts and reporting financial statements. The management of the company checks and verifies the internal control and monitors them in accordance with policy adopted by the company. Company continues to ensure proper and adequate systems and procedures commensurate with its size and nature of its business.

## CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS, IF ANY

During the year under review, there was no change in the nature of business of the Company.

## PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

There were no loans, guarantees or investments made by the Company under Section 186 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

## SUBSIDIARY / JOINT VENTURES / ASSOCIATED COMPANIES AND THEIR PERFORMANCE AND FINANCIAL POSITION

The Company does not have any Subsidiary/ Joint Venture/ Associate Company and no Company became its Holding, Subsidiary or Joint Venture Company during the Financial Year 2022-23.

**प्रतिष्ठान की चलायमान स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालन पर नियामक अथवा न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा हस्ताक्षरित जारी किए गए महत्वपूर्ण और आवश्यक आदेश**

आपके निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के विरूद्ध कोई महत्वपूर्ण और/या आवश्यक आदेश पारित नहीं किया गया था, जो चलायमान व्यवसाय और भविष्य में संचालन की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है ।

**संबंधित पक्षों के साथ संविदाएं या व्यवस्थाओं के ब्यौरे**

संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गईं संविदाओं या व्यवस्थाओं का कोई दृष्टांत नहीं है। अतएव कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) के अंतर्गत **प्रारुप एओसी–2** में कोई विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

**वार्षिक विवरणी (रिटर्न) का वेब लिंक, यदि कोई हो**

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिटर्न प्रकाशन प्रमुख के वार्षिक रिटर्न अनुभाग के तहत कंपनी की वेबसाइट यानी https://www-dphcl-com/annual-return-html पर उपलब्ध होगी।

**सचिवीय मानक का अनुपालन**

इन्सटिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरियल ऑफ इंडिया द्वारा जारी एसएस–1 और एसएस–2 जो क्रमशः निदेशक मंडल की बैठकों और आम बैठकों से संबंधित हैं, जिन्हें कंपनी द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किया जाता है और कंपनी निदेशक मंडल की बैठकों और आम बैठकों के संबंध में उपरोक्त सचिवीय मानकों का अनुपालन कर रही है ।

**निदेशकगण का उत्तरदायित्व कथन**

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखा की तैयारी में निदेशकगण पुष्टि करते हैं कि:

(क) वार्षिक लेखे तैयार करने में उपयुक्त लेखा मानदंडों का पालन किया गया है तथा दिए गए तथ्यों संबंधी उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

(ख) वित्तीय वर्ष के अंत में, निगम के कार्यों का एवं उसी अवधि के लिए आय व व्यय का सही और उचित दृश्य देने के लिए निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीति को अपनाया और लगातार लागू किया तथा निर्णय व प्राक्कलन किए, जो उपयुक्त और विवेकी हैं।

(ग) निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।

**SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE**

Your Directors confirm that no significant and/or material order(s) had been passed against the company during the Financial Year 2022-23, which may adversely impact the status of ongoing concern and operations in future.

**PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES**

There were no instances of contracts or arrangements entered by the Company with the related parties. Hence, there is no requirement to furnish particulars as required under sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 in **Form AOC-2.**

**WEB LINK OF ANNUAL RETURN, IF ANY**

The Annual Return for Financial Year 2022-23 shall be made available under the Annual Return section of the publications head at the website of the company i.e.https://www.dphcl.com/annual-return.html

**COMPLIANCE WITH SECRETARIAL STANDARDS**

The SS-1 and SS-2 related to Meetings of the Board of Directors and General Meetings respectively are issued by the Institute of Company Secretaries of India which are mandatorily required to be followed by the company and the company is complying the aforesaid Secretarial Standards in respect of Meetings of the Board of Directors and General Meetings.

**DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT**

The Directors confirm that in the preparation of the Annual Accounts of the Company for the year ended 31st March, 2023:

(a) In preparation of the Annual Accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;

(b) The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit and loss of the Company for that period;

(c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other regularities;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे को चलायमान आधार पर तैयार किया है।

(ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन और ऐसी प्रणाली के उपयुक्त एवं प्रभावी संचालन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है।

**लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का विवरण**

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (सीए) के अनुसार लेखापरीक्षकों के संज्ञान में ना कोई धोखाधड़ी आई ना उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट की ।

**ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा आय व व्यय का विवरण**

क. कंपनी निर्माण व्यवसाय में शामिल नहीं है, अपने प्रचालन में ऊर्जा का कोई अधिक उपयोग नहीं है तथा इसीलिए ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी आमेलन के संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं अपनाई है।

ख. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई विदेशी मुद्रा आय व व्यय नहीं था।

**मानव संसाधन विकास**

कंपनी में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। मानव संसाधन पहल के रूप में प्रशिक्षण और जन विकास को आवश्यकतः केंद्रित किया जा रहा है।

**कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न(निवारण, प्रतिवेध एवं प्रतितोश) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन**

कंपनी की कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिवेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार लैंगिक उत्पीड़न रोधी नीति है। लैंगिक उत्पीड़न संबंधी प्राप्त शिकायतों का निवारण करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति गठित है । इस नीति के अंतर्गत सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षणार्थी) समाहित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, लैंगिक उत्पीड़न की प्राप्त और निपटायी गई शिकायतों का सारांश नीचे दिए जा रही हैं।

प्राप्त शिकायतों की संख्या : शून्य

निपटायी गई शिकायतों की संख्या : लागू नहीं ।

**प्रकटन**

क) समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कोई बोनस शेयर घोषित नहीं किए गए थे ।

ख) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करना आवश्यक था ।

ग) समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने विशेष अधिकार के साथ कोई ईक्विटी शेयर को जारी नहीं किया।

(d) The Directors had prepared the Annual Accounts on a going concern basis:

(e) The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

**DETAILS OF FRAUD REPORTED BY AUDITORS**

No fraud has been noticed or reported by the Auditor as per Section 134(3) (ca) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Amendment) Act, 2015.

**CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO**

a. The Company is not involved in manufacturing business, it has no significant consumption of energy in its operation and as such no specific methods have been adopted to conserve energy & technology absorption.

b. During the period under review there was no foreign exchange earnings or out flow.

**HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:**

The Industrial relations continued to be cordial in the Company. As a part of HR initiatives, training and people development are being given necessary focus.

**DISCLOSURE UNDER SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013**

The company has in place an Anti-Sexual Harassment Policy in line with the requirements of the Sexual Harassment of Women at the Work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. An Internal Complaints Committee has been set up to redress complaints received regarding sexual harassment. All employee (permanent, contractual, temporary, trainees) are covered under this policy.

The following are the summary of sexual harassment complaints received and disposed off during the Financial Year 2022-23.

No. of Complaints received: Nil

No. of complaints disposed off: N.A.'

**DISCLOSURES**

a) No Bonus Shares were declared during the Financial Year under review.

b) There was no amount which was required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

c) Your company has not issued any equity shares with differential rights during the Financial Year under review.

घ) आपकी कंपनी ने स्टॉक विकल्प/स्वेट ईक्विटी शेयरों को जारी नहीं किया है ।

ड) समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने किसी वरीयता शेयर या डिबेंचरों को भुनाया नहीं है ।

च) समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अपनी किसी प्रतिभूति को वापस नहीं खरीदा है ।

छ) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई आवेदन दायर नहीं किया है। और वित्तीय वर्ष के अंत में दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 के अंतर्गत कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

ज) ऐसा कोई मामाले नहीं थे जहां कंपनी को एकमुश्त निपटान के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ी थी।

<u>**आभारोक्ति**</u>

आपके निदेशकगण दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के पूर्णतः और अत्यधिक सहयोग के लिए आभार व्यक्त, करती है कंपनी भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का भी आभार व्यक्त करती है। कंपनी बैंकरों, तथा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी के कार्यों को प्रबंधित करने में अथाह सहयोग के लिए हृदय से आभारी हैं। आपके निदेशक दिल्ली पुलिस के विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न स्तरों में से लिए गए कंपनी के स्व–अनुशासित, अत्यधिक प्रेरित और समर्पित कार्मिकों के अत्यधिक आभारी हैं। और दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं जो विभिन्न स्थानों और स्तरों पर कंपनी के कार्यों को देख रहे हैं। हमें विश्वास है कि उनके जोश और उत्साह से कंपनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगी।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
**दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः16.08.2023

| | |
|---|---|
| ह. | ह. |
| **(संजय अरोड़ा) आईपीएस** | **(नीरज ठाकुर) आईपीएस** |
| अध्यक्ष | प्रबंध निदेशक |
| डीआईएन सं. 09734568 | डीआईएन सं. 10267469 |

d) Your Company has not issued any Employees Stock options/ Sweat Equity Shares.

e) Your Company has not redeemed any preference shares or Debentures during the Financial Year under review.

f) Your Company has not bought back any of its securities during the Financial Year under review.

g) Company has not filed any application during the year and no proceeding is pending under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 at the end of the Financial Year.

h) There were no instances where Company required the valuation for one-time settlement or while taking the loan from the Banks or Financial institutions

<u>**ACKNOWLEDGEMENT**</u>

Your Directors would like to express their sincere thanks to the officers and employees of Delhi Police, Ministry of Home Affairs, Delhi Development Authority, Govt. of National Capital Territory of Delhi and Ministry of Urban Development, New Delhi for their whole-hearted and unstinted support. The company also express their thanks to the Comptroller and Auditor General of India, the bankers of the Company and the Statutory Auditors of the Company for their cooperation. Last but not the least your Directors are thankful to the self-disciplined, highly motivated and dedicated staff of the Company drawn from different disciplines and at different levelsand also convey thanks to the officers of Delhi Police who are looking after the works of the company at different places and levels. We are sure that with their zeal and enthusiasm, the Company would rise to greater heights.

by order of the Board of Directors
For **Delhi Police Housing Corporation Ltd.**

Place : New Delhi
Date : 16.08.2023

| | |
|---|---|
| **(Sanjay Arora)IPS** | **(Neeraj Thakur)IPS** |
| Chairman | Managing Director |
| DIN No. 09734568 | DIN No. 10267469 |

**मैसर्स बीजीजेसी एंड एसोशिएटस एलएलपी**
सनदी लेखाकार
मुख्यालय : राज टॉवर – एल, जी–वन
अलकनंदा कम्युनिटी सेन्टर, नई दिल्ली– 110019, भारत
फोन नं॰– 91–11–26025140 ई मेल : bgjc@bgjc.in

# स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

**सेवा में सदस्यगण,**

**दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड,**

## वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

### राय

हमने दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (कंपनी) के सलंग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 के तुलन–पत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण अपेक्षित तरीके से कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित सूचना को देते हैं कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021(एएस) और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित मानक 31 मार्च, 2023 को कंपनी के कार्य की स्थिति, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ एवं उसके नकद प्रवाह की पुष्टि में सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

### राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एएस) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत, हमारे दायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए 'लेखापरीक्षक का दायित्व' के भाग में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत नियमावलियों के तहत वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र है, तथा हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य वित्तीय विवरण हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व समुचित हैं।

**M/S BGJC & ASSOCIATES LLP**
Chartered Accountants
Head Office: Raj Tower-L, G-1,
Alaknanda Community Center, New Delhi-110019, India
Ph.: +91-11-26025140 E-mail: bgjc@bgjc.in

# Independent Auditor's Report

**To the Members of**

**DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED**

## Report On The Audit Of The Financial Statements

### Opinion

We have audited the accompanying Financial Statements of Delhi Police Housing Corporation Limited ("The Company"), which comprise the Balance Sheet as on 31 March, 2023, the Statement of Profit and Loss, the Statement of Cash Flow for the year then ended and Notes to the Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act read with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021 ("AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2023, its profit and its cash flows for the year ended on that date.

### Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the 'Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements' section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and Rules thereunder and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Financial Statements

BGJC & Associates LLP New Delhi Chartered Accountants

## वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी हैं। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 में सम्मिलित जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरणों और उस पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं करती है और हम उस पर आश्वासनात्मक निष्कर्ष के किसी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व, अन्य जानकारी को पढ़ना और, ऐसा करने में विचार करें क्या वित्तीय विवरणों की अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत तो नहीं है अथवा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान अथवा अन्यथा वस्तुतः गलत प्रतीत तो नहीं होता।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी हुई है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

**मामलों का प्रभाव**

हम वित्तीय विवरणों के विषय में निम्नलिखित मामले पर ध्यान आकर्षित करते हैं :

1. दिल्ली पुलिस (दिपु) के कर्मचारी जो दिपुआनिलि के लिए काम कर रहे हैं, उनके कर्मचारी लाभ, भुगतान दिपुआनिलि द्वारा नहीं किया जा रहा है, जैसा कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने वित्त वर्ष 2020–21 की अपनी टिप्पणियों में बताया है।

   हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, दिल्ली पुलिस से संबंधित गुणात्मक और समय पर काम पूरा करने के लिए, दिपु और दिपुआनिलि सामूहिक लक्ष्यों के साथ अपनी संबंधित ताकत, जनशक्ति और संसाधनों को साझा करना चाहते हैं। इस उद्देश्य हेतु दिल्ली पुलिस और दिपुआनिलि के बीच समझौता–ज्ञापन (एमओयू) किया गया है इसका उल्लेख वित्तीय विवरण के नोट क्रमांक 32 में किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2020–21 की अपनी टिप्पणियों में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा बताए गए अनुसार दिपुआनिलि द्वारा सरकारी अनुदान प्राप्त किया गया और पूंजीकृत नहीं की गई परियोजनाओं के निर्माण व्यय के रूप में खर्च किया गया ।

   हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, दिल्ली पुलिस से प्राप्त राशि सरकारी अनुदान नहीं थी जिसकी पुष्टि गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 07 अप्रैल 2022 के पत्र द्वारा की गई थी और बदले में, दिल्ली पुलिस ने भी पत्र संख्या 6489 दिनांक 05 मई 2022 द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। इसलिए, सीएजी रिर्पोट में संदर्भित किसी भी राशि को दिपुआनिलि के बही–खाते में पूंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसका उल्लेख वित्तीय विवरण के नोट क्रमांक 2.6 में किया गया है।

## Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report 2022-23 but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance and conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

**EMPHASIS OF MATTERS**

We draw attention to the following matter in the notes to the financial statements:

1. The employee's benefits, of Delhi Police (DP) who are working for Delhi Police Housing Corporation Limited (DPHCL), are not being paid by DPHCL as pointed out by CAG in their comments of Financial Year -2020-21.

   According to information and explanation given to us, to achieve qualitative and timely completion of work belonging to Delhi Police, DP and DPHCL seek to share their respective strength, manpower and resources with the collective goals. For this purpose, a MoU has been executed between Delhi Police & DPHCL. Refer Note No.32 of the financial statements.

2. Government Grant received and incurred as Construction expenses of Projects not capitalized by DPHCL as pointed out by CAG in their comments of FY-2020-21.

   According to information and explanation given to us, the amount received from Delhi Police was not Government Grants which was confirmed by Ministry of Home Affairs vide letter dated 07th April 2022 and in turn, Delhi Police also confirmed the same vide letter No 6489 dated 05th May 2022. Accordingly, no amounts referred in the CAG Report are required to be capitalized in the books of DPHCL. Refer Note No. 2.6 of the Financial Statements.

इन उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

**वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंध समिति और निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व**

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो कि अधिनियम की धारा 133 के तहत भारतीय लेखा मानक तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और कंपनी के लाभ/हानि, नकद प्रवाहों में अन्य परिवर्तनों का सही और उचित दृष्किोण प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षण, कंपनी की परिसंपत्तियों के सुरक्षार्थ तथा छल–कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पकड़ने के लिए, उपयुक्त लेखा नीतियों के चयन व प्रायोज्यता, उपयुक्त और विवेकी निर्णय एवं अनुमान लगाना तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु डिजाइन करना, उनको कार्यान्वित और अनुरक्षण शामिल है। जोकि वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुति संबंधी लेखा रिकॉर्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे जोकि सत्य व उचित दृष्टिकोण देते हैं और विवरण सामग्री मिथ्या वर्णन, धोखाघड़ी या त्रुटि से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में, कंपनी के कार्यशील बने रहने संबंधी आकलन के लिए, कार्यशील संस्था से जुड़े मामलों के, यथा लागू, प्रकटन और संस्था का लेखांकन कार्यशील संस्था के अधार पर करने के लिए कंपनी की प्रबंध समिति व निदेशक मंडल उत्तरदायी होगी जब तक कि प्रबंध समिति का इरादा परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प नहीं हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी उत्तरदायी होंगे।

**वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व**

हमारा उद्देश्य यथेष्ठ रूप से यह आश्वासन प्राप्त करना है कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से या त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त है तथा इस बारे में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय भी शामिल है। इस संबंध में यह यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा तात्विक गलतबयानी, यदि यह मौजूद हो, का पता चल ही जाएगा। गलतबयानी किसी प्रकार कीधोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि इससे अलग–अलग अथवा समग्र रूप से इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर

Our opinion is not modified in respect of these above matters.

**Management' and Board of Directors' Responsibility for the Financial Statements**

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the AS and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Financial Statements, Management and the Directors are responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

**Auditor's Responsibilities For the audit of Financial Statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected

BGJC & Associates LLP New Delhi Chartered Accountants

उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

इन लेखा मानकों सहित लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हमः

- वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलतबयानी, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए प्रतिक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और हमारी राय के लिए आधार प्रदान हेतु पर्याप्त एवं यथेष्ट लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम कंपनी में उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रण की सक्रियप्रभावकारिता पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्टता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधतंत्र द्वारा कार्यशील संस्था के आधार पर लेखांकन के औचित्य और प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कहीं कोई ऐसी तात्विक अनिश्चितता तो मौजूद नहीं है जो कंपनी की इस क्षमता के बारे मेंअत्यधिक संदेह पैदा करती हो कि यह कार्यशील संस्था बनी रहेगी। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तात्विक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करें, अथवा, ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपनी राय में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन्हीं लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों। हालांकि भावी घटनाएं अथवा स्थितियां ऐसी भी हो सकती है जिनसे कंपनी कार्यशील कंपनी के रूप में अपनी निरंतरता बनाए न रख सके।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे कि निष्पक्ष प्राप्त हो सके।

to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of Accounting estimates and related disclosures made by management
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of Accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainly exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or condition may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

BGJC & Associates LLP New Delhi Chartered Accountants

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के साथ शासन (गवर्नेंस) के प्रभारियों के साथ अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे, समयबद्धता और लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में सूचित करते हैं।

हम शासन (गवर्नेंस) के प्रभारियों को उन विवरणों को उपलब्ध कराते हैं जिन्हें हमने संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी संबंधों एवं अन्य मामलों, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता अनुकूल उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, सबंधित सुरक्षा उपाय के बारे में संवाद करते हैं।

**अन्य मामले**

वित्तीय विवरणों में शामिल 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किए गए पहले जारी किए गए वैधानिक वित्तीय विवरणों पर आधारित है, जिनकी 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट 29 जून, 2022 को दी गई थी। उन वित्तीय विवरणों पर एक असंशोधित राय व्यक्त की।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

**अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**

1. अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश'') में अपेक्षित अनुसार हम जहां तक लागू होता है, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण को **''अनुलग्नक 1''** पर प्रस्तुत हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) में यथापेक्षित लागू होने वाली सीमा तक हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं विवरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, कंपनी ने वे सभी समुचित लेखा बहियां रखी हैं, जो नियमानुसार आवश्यक हैं, जहां तक उन बहियों की हमारी परीक्षा द्वारा सामने आया है।

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन–पत्र और लाभ व हानि विवरणिका एवं नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों का अनुपालन करते हैं।

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied that relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

**Other Matters**

The comparative financial information of the Company for the year ended March 31, 2022 included in the financial statements, are based on the previously issued statutory financial statements audited by the predecessor auditor whose report for the year ended March 31, 2022 dated June 29, 2022 expressed an unmodified opinion on those financial statements.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

**Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of section 143 (11) of the Act, we give in the **"Annexure 1"** statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the order, to the extent applicable.

2. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit .

b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flow dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

BGJC & Associates LLP New Delhi Chartered Accountants

घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं;

ङ) 31 मार्च, 2023 का निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर, निदेशक मंडल ने अभिलेखित किया कि अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार 31मार्च, 2023को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है;

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, **''अनुलग्नक 2''** पर हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

छ) संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक सरकारी कंपनी है, अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ी गई धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होती हैं क्योंकि उसमें धारा 137 या धारा 92 के तहत वार्षिक रिटर्न के तहत अपने वित्तीय विवरण रजिस्ट्रार के पास दाखिल करने में कोई चूक नही की।

छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार;

(i) कंपनी का कोई लंबित मुकद्दमा नहीं है।

(ii) कंपनी का व्युत्पत्तिक अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घावधि अनुबंध नहीं है जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री पूर्वानुमान योग्य हानि का प्रश्न नहीं उठता;

(iii) ऐसे कोई मामले नहीं हैं जहां कंपनी द्वारा राशि को निदेशकों की शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना है।

(iv)(क) प्रबंधन ने ये स्पष्ट किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अलावा, जैसा कि लेखों की टिप्पणी में प्रकट किया गया है, कंपनी द्वारा कोई धनराशि अग्रिम या ऋण (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से हो) या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम से या कोई अन्य स्रोत या प्रकार की निधि) या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्थाओं सहित ("मध्यस्थ"), जानकारी के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई अन्य वस्तु प्रदान करना;

d) In our opinion, the aforesaid Financial Statements comply with the AS specified under Section 133 of the Act.

e) On the basis of written representations received from the Directors as on 31 March, 2023, taken on record by the Board of Directors, none of the Directors is disqualified as on 31 March, 2023, from being appointed as a Director in terms of Section164(2) of the Act;

f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in **"Annexure 2"**.

g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended:

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company being a Government Company, the provisions of Section 197 read with Schedule V to the Act are not applicable to the Company as it has not committed any default in filing with the Registrar its financial statements under section 137 or annual return under section 92.

h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules 2014, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us:

(i) The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position

(ii) The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts. Hence, the question of any material foreseeable losses does not arise;

(iii) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

(iv)(a) The Management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person or entity, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(ख) प्रबंधन ने ये स्पष्ट किया है कि, लेखों की टिप्पणी में प्रकट किए गए के अलावा, इसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धन (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से हो) प्राप्त नहीं हुआ है। ("फंडिंग पार्टियां"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी। ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई अन्य वस्तु प्रदान करना;

(ग) ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है; हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(e) की उप–धारा (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई सामग्री मिथ्या वर्णन है;

(v). कंपनी ने अनुसार चालू वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक न तो कोई लाभांश घोषित किया है और न ही भुगतान किया है;

(vi) कंपनी (लेखा) नियम,2014 के नियम 3(1) के प्रावधान के रूप में केवल कंपनी के लिए 11.01.2014 से लागू है। 1 अप्रैल,2023 इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) में अपेक्षित अनुसार कंपनी की बहियों और रिकॉर्ड की जांच के बाद हमें उपयुक्त प्रतीत हुआ तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों में शमिल विषयों पर रिपोर्ट **अनुलग्नक '3'** पर है।

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
**बी जी जे सी एंड एसोशिएटस एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003304एन/एन500056

ह.
**(सीए प्रनव जैन)**
भागीदार
सदस्यता सं. 098308
यूडीआईएन 230983083GVLTS1332

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2023

(b) The Management has represented, that, to the best of it's knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the company from any person or entity, including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(c) Based on the audit procedures that has been considered reasonable and appropriate in the circumstances. nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e) contain any material mis-statement;

(v) The Company has not declared or paid any dividend during the year and until the date of this report

(vi) As proviso to rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is applicable for the Company only w.e.f. April 1, 2023, reporting under this clause is not applicable.

3. As required by Section 143(5) of the Act, on the basis of examination of the books and records of the company as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us, the report on the matters covered by the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India is annexed as per **"Annexure-3."**

BGJC & Associates LLP
New Delhi
Chartered Accountants

As per our report of even date attached
For **BGJC & Associates LLP**
Chartered Accountants
Firm Registration No.-003304N/N500056

Pranav Jain

**(CA Pranav Jain)**
Partner
Membership No. 098308
UDIN : 230983083GVLTS1332

Place : New Delhi
Date : 30.05.2023

## स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "1"

[31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड के सदस्यों को सम तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोट' के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित किया गया ह]

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी, स्पष्टीकरण और लिखित अभ्यावेदन और लेखापरीक्षा के सामान्य समय सीमा में हमारे द्वारा जांच की गई खाता बहियों और अन्य रिकॉर्ड के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) (क) अ. कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

आ. कंपनी ने अमूर्तआस्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है;

(ब) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गईं। हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भौतिक सत्यापन की आवृत्ति उचित है।

(ग) कंपनी के पास निवेश संपत्तियों सहित कोई अचल संपत्ति नहीं है, तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(सी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ड़) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(e) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ii) (अ)कंपनी के पास कोई वस्तुसूची नहीं है. तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(आ)कंपनी को वर्ष के किसी भी समय के दौरान मौजूदा परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii)(बी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है

(iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या किसी अन्य पार्टियों में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

## ANNXURE "1" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

[Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' in the Independent Auditor's Report of even date to the members of Delhi Police Housing Corporation Limited on the financial statements for the year ended March 31, 2023]

To the best of our information and according to the information, explanations, and written representations provided to us by the Company and the books of account and other records examined by us in the normal course of audit we report that:

(i) (a) A. The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of property, plant and equipment.

B. The Company has maintained proper records showing full particulars of Intangible Assets;

(b) The property, plant and equipment have been physically verified by the management during the year and no material discrepancies were noticed on such verification. In our opinion, the frequency of physical verification is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets.

(c) The Company does not own any immovable property including investment properties Accordingly, reporting under clause 3(i)(c) of the Order is not applicable to the Company.

(d) The Company has not revalued its Property, Plant and Equipment or intangible assets during the year.

e) No proceedings have been initiated or are pending against the Company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made there under. Accordingly, reporting under clause 3(i) (e) of the Order is not applicable to the Company.

(ii) (a)The Company does not hold any inventory. Accordingly, reporting under clause 3(ii) of the Order is not applicable to the Company.

(b)The Company has not been sanctioned working capital limits by banks or financial institutions on the basis of security of current assets during any point of time of the year. Accordingly, reporting under clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable to the Company

(iii) The Company has not made any investment in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships (LLPs) or any other parties during the year. Accordingly, reporting under clause 3(iii) of the Order is not applicable to the Company.

BGJC & Associates LLP New Delhi Chartered Accountants

(iv) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के तहत आने वाले किसी भी लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(v) कंपनी ने कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है और ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे अधिनियम और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (संशोधित) की धारा 73 से 76 के अर्थ में समझा गया जमा माना गया हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों/व्यावसायिक गतिविधि के संबंध में अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(vii) (क) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर, और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया, जैसा लागू हो, उपयुक्त प्राधिकारियों के पास। इसके अलावा, उसके संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि वर्ष के अंत में देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उप–खंड (ए) में संदर्भित कोई वैधानिक बकाया नहीं है जो किसी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया है।

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में कोई भी लेन–देन को सरेंडर या खुलासा नहीं किया गया था, जिसे खातों की किताबों में दर्ज नहीं किया गया है।

(ix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(प•) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(x)(क)कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(ए) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से) परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई तरजीही आवंटन या निजी नियोजन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(बी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(iv) In our opinion, and according to the information and explanations given to us, the Company has not entered into any transaction covered under sections 185 and 186 of the Act. Accordingly, reporting under clause 3(iv) of the Order is not applicable to the Company.

(v) The Company has not accepted any deposits and there is no amount which has been considered as deemed deposit within the meaning of sections 73 to 76 of the Act and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 (as amended). Accordingly, reporting under clause 3(v) of the Order is not applicable to the Company.

(vi) The Central Government has not specified maintenance of cost records under sub-section (1) of section 148 of the Act, in respect of Company's products/business activity. Accordingly, reporting under clause 3(vi) of the Order is not applicable.

(vii) (a) In our opinion, and according to the information and explanations given to us, the Company is regular in depositing undisputed statutory dues including goods and services tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess, and other material statutory dues, as applicable, with the appropriate authorities. Further, no undisputed amounts payable in respect thereof were outstanding at the year-end for a period of more than six months from the date they became payable.

(b) According to the information and explanations given to us, there are no statutory dues referred in sub-clause (a) which have not been deposited with the appropriate authorities on account of any dispute.

(viii) According to the information and explanations given to us, no transactions were surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) which have not been recorded in the books of accounts.

(ix) According to the information and explanations given to us, the Company does not have any loans or other borrowings from any lender. Accordingly, reporting under clause 3(ix) of the Order is not applicable to the Company.

(x)(a) The Company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments), during the year. Accordingly, reporting under clause 3(x)(a) of the Order is not applicable to the Company.

(b) According to the information and explanations given to us, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or (fully, partially or optionally) convertible debentures during the year. Accordingly, reporting under clause 3(x)(b) of the Order is not applicable to the Company.

BGJC & Associates LLP New Delhi Chartered Accountants

(xi)(अ) हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा में शामिल अवधि के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ब) हमारी लेखा परीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि के लिए अधिनियम की धारा 143(12) के तहत कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास दायर नहीं की गई है।

(स) कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए अभ्यावेदन सहित हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई मुखबिर की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और निधि नियम, 2014 इस पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188, जहां लागू हो, के अनुपालन में हैं। इसके अलावा, ऐसे संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं, जैसा कि लेखांकन मानक (एएस) 18, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 में निर्दिष्ट संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के तहत आवश्यक है, जैसा कि अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित है।

(xiv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को अधिनियम की धारा 138 के तहत आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की आवश्यकता नहीं है और परिणामस्वरूप, उसके पास आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xiv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुडे व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और तदनुसार, अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(xvii) कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष के साथ–साथ पिछले वित्तीय वर्ष में भी कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखापरीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xviii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xi) (a)To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Company or on the Company has been noticed or reported during the period covered by our audit.

(b) No report under section 143(12) of the Act has been filed with the Central Government for the period covered by our audit.

(c) According to the information and explanations given to us including the representation made to us by the management of the Company, there are no whistle-blower complaints received by the Company during the year.

(xii) The Company is not a Nidhi Company and the Nidhi Rules, 2014 are not applicable to it. Accordingly, reporting under clause 3(xii) of the Order is not applicable to the Company.

(xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, all transactions entered into by the Company with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act, where applicable. Further, the details of such related party transactions have been disclosed in the financial statements, as required under Accounting Standard (AS) 18, Related Party Disclosures specified in Companies (Accounting Standards) Rules, 2021 as prescribed under section 133 of the Act.

(xiv) According to the information and explanations given to us, the Company is not required to have an internal audit system under section 138 of the Act and consequently, does not have an internal audit system. Accordingly, reporting under clause 3(xiv) of the Order is not applicable to the Company.

(xv) According to the information and explanation given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with them and accordingly, provisions of section 192 of the Act are not applicable to the Company.

(xvi) The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, reporting under clause 3(xvi) of the Order is not applicable to the Company.

(xvii) The Company has not incurred cash losses in the current financial year as well as immediately preceding financial year.

(xviii) There has been no resignation of the Statutory Auditors during the year. Accordingly, reporting under clause 3(xviii) of the Order is not applicable to the Company.

BGJC & Associates LLP New Delhi Chartered Accountants

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर हमारी राय है कि कंपनी के तुलन पत्र की तारीख पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कंपनी अपनी देनदारियों को एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करने में सक्षम है, जब कि वे तुलन पत्र की तारीख पर देय होती हैं। हालाँकि, हम बताते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। कंपनी जब भी उनका बकाया हो।

(xx) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 135(1) के तहत निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करती है और तदनुसार, खंड (xx) के तहत रिपोर्टिंग करती है। आदेश कंपनी पर लागू नहीं है.

(xxi) खंड (xxi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लागू नहीं है। तदनुसार, इस रिपोर्ट के तहत उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
**बी जी जे सी एंड एसोशिएटस एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003304एन/एन500056

ह.
**(सीए प्रनव जैन)**
भागीदार
सदस्यता सं. 098308
यूडीआईएन 230983083GVLTS1332

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2023

(xix) According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the plans of the Board of Directors and management, we are of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report that Company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.

(xx) According to the information and explanations given to us, The Company does not fulfil the criteria as specified under section 135(1) of the Act read with the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 and accordingly, reporting under clause (xx) of the Order is not applicable to the Company.

(xxi) The reporting under clause (xxi) is not applicable in respect of audit of financial statements of the Company. Accordingly, no comment has been included in respect of said clause under this report.

BGJC & Associates LLP New Delhi Chartered Accountants

As per our report of even date attached
For **BGJC & Associates LLP**
Chartered Accountants
Firm Registration No.-003304N/N500056

**(CA Pranav Jain)**
Partner
Membership No. 098308
UDIN : 230983083GVLTS1332

Place : New Delhi
Date : 30.05.2023

[31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दिल्ली पुलिस आवसीय निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक सम दिनांक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैरा 2(f) में संदर्भित किया गया है]

**कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तिय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट**

हमने दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड ('कंपनी') के 31 मार्च, 2023 तक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष को कंपनी के विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश टिप्पणी ('आई सी ए आई') में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और अनुरक्षण के लिए कंपनी की प्रबंध समिति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अभिकल्प, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन व अनुरक्षण शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार, ये वित्तीय नियंत्रण, व्यवसाय को व्यवस्थित और सक्षम ढंग से चलाने में (इसमें कंपनी नीति का अनुसरण करना शामिल है), इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों से बचाव और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की शुद्धता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी शामिल है।

**लेखापरीक्षक का दायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों और वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमा तक लागू लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी (''दिशानिर्देश टिप्पणी'') के अनुसार की है। ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर लागू है तथा दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी हैं। इन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणी की अपेक्षा ह कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन

[ Referred to in para 2 under " Report on other Legal & Regulatory Requirements " in Independent Auditor's Report of even date on the Financial Statements of Delhi Police Housing Corporation Limited on the financial statements for the year ended March 31, 2023 ]

**Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")**

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Delhi Police Housing Corporation Limited ('the Company') as of 31st March 2023 in conjunction with our audit of the Financial Statements of the Company for the year ended on that date.

**Management's Responsibility for Internal Financial Controls**

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI').

These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate Internal Financial Controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

**Auditors' Responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on the Company's Internal Financial Controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note, on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, specified "under section 143(10) of the Act to the extent applicable to an audit of internal financial controal,both issued by the ICAI . Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable

BGJC & Associates LLP New Delhi Chartered Accountants

के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और कायम थे और क्या ऐसे नियंत्रणों ने सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से कार्य किया, के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें।

हमारी लेखापरीक्षा में परीक्षण आधारित जांच राशि के आशय और वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनकी प्रचालन प्रभाविकता शामिल है। हमारी वित्तीय प्रतिवेदन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा में वित्तीय वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, भौतिक कमजोरी के जोखिम का मूल्यांकन और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परख तथा डिजाइन और प्रचालन प्रभाविता प्राप्त करना शामिल है। नियुक्त की गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित है। इसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या विवरण, जोखिम का मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, भी शामिल करें।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त हैं और कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखापरीक्षा विचार के आधार के लिए उचित हैं।

**वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य**

किसी कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिंद्धांतों के अनुसार बाहय उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल है जो

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को उचित विवरण में, शुद्ध और निष्पक्ष ढंग से दर्शाते हैं,

(2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन–देन का आवश्यकतानुसार रिकॉर्ड हो रहा है ताकि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति दी जा सके, और कंपनी की प्राप्तियां और व्ययों को केवल कंपनी की प्रबंध समिति और निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों का, बचाव अथवा समय अनधिकृत अधिग्रहण का पता लगाना, इस्तेमाल, अथवा निपटान संबंध उचित आश्वासन प्रदान करना कि उनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सके।

assurance about whether adequate Internal Financial Controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the Internal Financial Controls system over financial reporting and their operating effectiveness.

Our audit of Internal Financial Controls over financial reporting included obtaining an understanding of Internal Financial Controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's Internal Financial Controls system over financial reporting.

**Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting**

A Company's Internal Financial Control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's Internal Financial Control over financial reporting includes those policies and procedures that

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and Directors of the company; and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

## वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा के कारण (इसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण को प्रभावी करने वाला अनुपयुक्त प्रबंधन, धोखा या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्या विवरण शामिल) हो सकता है तथा इसका पता भी नहीं लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, भविष्य के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के प्रक्षेपण में यह खतरा है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कहीं अपर्याप्त न हो जाए या नीतियों के साथ अनुपालन की मात्रा या पद्धतियों में कमी आ सकती है।

**राय**

हमारी राय में,, कंपनी के पास भी भौतिक मामलों में, वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च, 2023 तक ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे:

**अन्य मामले**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक द्वारा किया गया था, जिसकी 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 29 जून, 2022 को कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक असंशोधित राय व्यक्त की गई थी। इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है.

## Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of Internal Financial Controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the Internal Financial Controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the Internal Financial Control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

**Opinion**

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate Internal Financial Controls system over financial reporting and such Internal Financial Controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of internal Financial control systems Reporting issued by the ICAI.

**Other Matters**

The audit of internal financial controls over financial reporting of the Company for the year ended on March 31, 2022, was carried out by the predecessor auditor whose report for the year ended March 31, 2022 dated June 29, 2022 expressed an unmodified opinion on internal financial controls over financial reporting of the Company. Our opinion is not modified in respect of this matter.

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
**बी जी जे सी एंड एसोशिएटस एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003304एन/एन500056

ह.
**(सीए प्रनव जैन)**
भागीदार
सदस्यता सं. 098308
यूडीआईएन 230983083GVLTS1332

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2023

As per our report of even date attached
For **BGJC & Associates LLP**
Chartered Accountants
Firm Registration No.-003304N/N500056

**(CA Pranav Jain)**
Partner
Membership No. 098308
UDIN : 230983083GVLTS1332

Place : New Delhi
Date : 30.05.2023

## स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "3"

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 5 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों पर रिपोर्ट]

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 5 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर, कंपनी के रिकॉर्ड के सत्यापन और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

| क्रसं. | धारा 143 (5) के अंतर्गत निर्देश | निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का उत्तर | वित्तीय विवरणिका पर प्रभाव |
|---|---|---|---|
| 1. | क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से भी लेखांकन लेन–देन को प्रक्रमित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, वित्तीय निहितार्थ सहित लेखा की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली से बाहर लेखांकन लेन–देन की प्रक्रमण के निहितार्थ यदि कोई है, का उल्लेख करें। | हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की एक प्रणाली है। लेखांकन लेनदेन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं के लिए टैली प्राइम पैकेज लागू किया गया है।<br><br>की गई ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें ऐसे किसी भी लेखांकन लेनदेन की जानकारी नहीं है जो आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किया गया हो। तदनुसार, खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। | शून्य |
| 2. | क्या ऋण के पुनर्भुगतान में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज़/ऋण/ब्याज आदि के मौजूदा ऋण या माफी/बट्टे–खाते में डालने को पुनर्गठित किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।<br><br>किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन का कोई मामला नहीं है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को किए गए किसी भी उधार/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टा खाते में डालने का मामला नहीं है। | कंपनी को पूरी तरह से इक्विटी के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। इसलिए, यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है। | लागू नहीं |
| 3. | क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि का समुचित हिसाब/इसके नियम और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया? व्यतिक्रम मामलों को सूचित करें। | हमारे द्वारा की गई लेखा–परीक्षा की प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र/राज्य सरकार से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि)। या इसकी एजेंसियों द्वारा इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब–किताब किया गया/उपयोग किया गया। | शून्य |

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
**बी जी जे सी एंड एसोशिएटस एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003304एन/एन500056

ह.
**(सीए प्रनव जैन)**
भागीदार
सदस्यता सं. 098308
यूडीआईएन 230983083GVLTS1332

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2023

**ANNXURE “3” TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT**

[Report on the Directions given under sub section 5 of Section 143 of the Companies Act, 2013]

On the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under sub section 5 of section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”), based on the verification of records of the Company and information and explanations given to us, we report that:

| Sr. No. | Directions u/s 143(5) of the Act | Auditor’s reply on action taken on the directions | Impact on Financial statements |
|---|---|---|---|
| 1. | Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system?<br><br>If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated. | According to the information and explanations given to us, the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system. Tally Prime package has been implemented for accounting transactions and financial reporting processes<br><br>Based on the audit procedures carried out and according to the information and explanations given to us, we are not aware of any accounting transactions that have been processed/ carried outside the IT system. Accordingly, there are no implications on the integrity of the accounts | **Nil** |
| 2. | Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company’s inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? | The Company is financed entirely through equity,Therefore,the clause is not applicable to the Company. | **Not applicable** |
| 3. | Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilized as per its terms and conditions?<br><br>List the cases of deviation. | Based on the audit procedures carried out by us and according to the information and explanations given to us, the Funds (grants/subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from central/state Govt. or its agencies were properly accounted for / utilized as per its terms and conditions. | **Nil** |

As per our report of even date attached
For **BGJC & Associates LLP**
Chartered Accountants
Firm Registration No.-003304N/N500056

**(CA Pranav Jain)**
Partner
Membership No. 098308
UDIN : 230983083GVLTS1332

Place : New Delhi
Date : 30.05.2023

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
DGACR Building, Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

No. CA/2-30/DPHCL/2023-24/ 113

Date: 01.08.2023

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
दिल्ली पुलिस हाउसिंग कोरपोरेशन लिमिटेड,
टावर – I ,नई दिल्ली पुलिस हेडकुआटर्स,
जय सिंह मार्ग ,
नई दिल्ली -

**विषय:** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6)(b) के अंतर्गत **दिल्ली पुलिस हाउसिंग कोरपोरेशन लिमिटेड** के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां।

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत **दिल्ली पुलिस हाउसिंग कोरपोरेशन लिमिटेड** के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर No Review Certificate भेजा जा रहा है।

इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

सतीश
1/8/2023
(सतीश कुमार)
निदेशक (CAW)

संलग्न: यथोपरि

Ph. : 91-11-23702422
Fax : 91-11-23702271
E-mail : dgace@cag.gov.in
Website : https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/ten

## दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड(डीपीएचसीएल) की वित्तीय विवरणिकों को कंपनी अधिनियम में निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विहित लेखापरीक्षणों के मानक के साथ स्वतंत्र लेखापरीक्षण पर आधारित, अधिनियम की धारा–143 के तहत वित्तीय विवरणिका पर अपनी राय देने के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी 30.05.2023 के लेखापरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार इसे पूर्ण किया हुआ, माना जाना चाहिए।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड(डीपीएचसीएल) के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए, वित्तीय विवरणिकाओं पर अनुपूरक लेखापरीक्षण नहीं करने का निर्णय लिया है।

**कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**
**तथा उनकी ओर से**

**ह.**
**(राजीव कुमार पांडे)**
**महानिदेशक लेखापरीक्षा**
**(केन्द्रीय व्यय)**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2023

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023**

The preparation of financial statements of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 30.05.2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) of the Act.

**For and on behalf of the**
**Comptroller & Auditor General of India**

**Place: New Delhi**
**Dated: 01.08.2023**

**(Rajiv Kumar Pandey)**
**Director General of Audit (Central Expenditure)**

**दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड**

13वॉं तल, टॉवर–2, नया पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड़, नई दिल्ली–110001

# 31 मार्च, 2023 को तुलन–पत्र

(रुपये लाख में)

| विवरण | टिप्पणी सं0 | 31/03/2023 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें | 31/03/2022 को समाप्त पूर्व रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें |
|---|---|---|---|
| **I. ईक्विटी और देयताएं** | | | |
| **शेयरधारकों की निधियां** | | | |
| शेयरपूंजी | 3 | 500.00 | 500.00 |
| आरक्षित और अधिशेष | 4 | 879.31 | 798.27 |
| **गैर–चालू देयताएं** | | | |
| अन्य दीर्घावधि देयताएं | 5 | - | - |
| **चालू देयताएं** | | | |
| व्यापारिक देनदारियां | 6 | | |
| क. एमएसएमई का कुल बकाया | | - | - |
| ख. अन्य लेनदारों का कुल बकाया | | - | - |
| अन्य चालू देयताएं | 7 | 4353.15 | 726.93 |
| अल्पावधि प्रावधान | 8 | 37.96 | 10.36 |
| **कुल** | | **5,770.42** | **2,035.56** |
| **II.आस्तियां** | | | |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण | 9 | 0.19 | - |
| अमूर्त परिसंपत्तियां | 10 | 0.08 | 0.21 |
| **चालू आस्तियां** | | | |
| नकद और नकद तुल्य | 11 | 5278.58 | 1564.64 |
| अल्पावधि ऋण और अग्रिम | 12 | 13.94 | 17.53 |
| अन्य चालू आस्तियां | 13 | 477.63 | 453.18 |
| **कुल** | | **5,770.42** | **2,035.56** |
| निगमित सूचना | 1 | | |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | 2 | | |

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
**बी जी जे सी एंड एसोशिएटस एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003304एन/एन500056

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
**दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड**

ह.
**(सीए प्रनव जैन)**
भागीदार
सदस्यता सं. 098308
यूडीआईएन 230983083GVLTS1332

ह.
**(संजय अरोड़ा)**
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 09734568

ह.
**(सुरेन्द्र सिंह यादव)**
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 09608684

ह.
**(हरीश कुमार)**
निदेशक
डीआईएन सं. 09794440

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2023

**Delhi Police Housing Corporation Ltd.**
13th Floor, Tower-II, New PHQ Building, Jai Singh Road, New Delhi – 110001

# BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2023

(Rupees in lakh)

| Particulars | Note No. | Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2023 | Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2022 |
|---|---|---|---|
| **I. EQUITY AND LIABILITIES** | | | |
| **Shareholder's Funds** | | | |
| Share Capital | 3 | 500.00 | 500.00 |
| Reserves and Surplus | 4 | 879.31 | 798.27 |
| **Non-Current Liabilities** | | | |
| Other Long Term Liabilities | 5 | - | - |
| **Current Liabilities** | | | |
| Trade payables | | | |
| a. Total Outstanding dues to MSME | 6 | - | - |
| b. Total Outstanding dues to other creditors | | - | - |
| Other Current Liabilities | 7 | 4353.15 | 726.93 |
| Short Term Provisions | 8 | 37.96 | 10.36 |
| **Total** | | **5,770.42** | **2,035.56** |
| **II. ASSETS** | | | |
| Property, Plant & Equipment | 9 | 0.19 | - |
| Intangible Assets | 10 | 0.08 | 0.21 |
| **Current Assets** | | | |
| Cash and Cash Equivalents | 11 | 5278.58 | 1564.64 |
| Short Term Loans and Advances | 12 | 13.94 | 17.53 |
| Other Current Assets | 13 | 477.63 | 453.18 |
| **Total** | | **5,770.42** | **2,035.56** |
| **Corporate Information** | 1 | | |
| **Significant Accounting Policies** | 2 | | |

As per our report of even date attached
For **BGJC & Associates LLP**
Chartered Accountants
Firm Registration No.-003304N/N500056

For and on behalf of the Board of Directors of
**Delhi Police Housing Corporation Ltd.**

| Sd/- | Sd/- | Sd/- | Sd/- |
|---|---|---|---|
| **(CA Pranav Jain)** | **(Sanjay Arora)** | **(Surender Singh Yadav)** | **(Harish Kumar)** |
| Partner | Chairman | Managing Director | Director |
| Membership No. 098308 | DIN No. 09734568 | DIN No. 09608684 | DIN No. 09794440 |
| UDIN : 230983083GVLTS1332 | | | |

Place : New Delhi
Date : 30.05.2023

**दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड**

13वॉं तल, टॉवर–2, नया पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड़, नई दिल्ली–110001

# 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रुपये लाख में)

| विवरण | टिप्पणी सं0 | 31/03/2023 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें | 31/03/2022 को समाप्त पूर्व रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें |
|---|---|---|---|
| I. प्रचालनों से आय | 14 | 125.67 | 5.05 |
| II. अन्य आय | 15 | 111.22 | 67.05 |
| **III. कुल राजस्व (I+II)** | | 236.89 | 72.10 |
| IV. व्यय | | | |
| (क) कार्य व्यय जमा | 16 | - | - |
| (ख) कर्मचारी हित व्यय | 17 | 108.21 | 41.97 |
| (ग) मूल्यह्रास और परिशोधन | 18 | 0.27 | 0.00 |
| (घ) अन्य व्यय | 19 | 19.96 | 8.01 |
| **कुल व्यय** | | 128.45 | 49.98 |
| V. आपवादिक और असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ | (III – IV) | 108.45 | 22.11 |
| VI. आपवादिक मदें | | - | - |
| VII. असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (V – VI) | | 108.45 | 22.11 |
| VIII. असाधारण मदें | | - | - |
| IX. कर पूर्व लाभ (VII – VIII) | | **108.45** | **22.11** |
| X. कर व्ययः | | | |
| (1) चालू कर | | 27.41 | 5.55 |
| (2) गत वर्ष का कर | | - | - |
| (3) आस्थिगित कर | | - | - |
| XI. निरंतर प्रचालनों की अवधि से लाभ/(हानि) | (IX – X) | 81.04 | 16.56 |
| XII. अनिरंतर प्रचालनों से लाभ/(हानि) | | - | - |
| XIII. अनिरंतर प्रचालनों का कर व्यय | | - | - |
| XIV. अनिरंतर प्रचालनों से लाभ/(हानि) (XII- XIII) | | - | - |
| XV. अवधि के लिए लाभ/(हानि) (XI + XIV) | | **81.04** | **16.56** |
| XVI. प्रत्येक रु.100/– के सममूल्य के ईक्विटी शेयर | | | |
| XVII. प्रति ईक्विटी शेयर आयः | | | |
| (1) मूल और मिश्रित (रूपये में) | | **16.21** | **3.31** |
| XVIII. प्रति शेयर की आय की गणना में प्रयुक्त शेयरों की संख्या | | | |
| (1) मूल और मिश्रित (रूपये में) | | 500000 | 500000 |
| निगमित सूचना | 1 | | |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | 2 | | |

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
**बी जी जे सी एंड एसोशिएटस एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003304एन/एन500056

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
**दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड**

ह.
**(सीए प्रनव जैन)**
भागीदार
सदस्यता सं. 098308
यूडीआईएन 230983083GVLTS1332

ह.
(संजय अरोड़ा)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 09734568

ह.
(सुरेन्द्र सिंह यादव)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 09608684

ह.
(हरीश कुमार)
निदेशक
डीआईएन सं. 09794440

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2023

**Delhi Police Housing Corporation Ltd.**

13th Floor, Tower-II, New PHQ Building, Jai Singh Road, New Delhi – 110001

# STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2023

(Rupees in lakh)

| Particulars | Note No. | Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2023 | Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2022 |
|---|---|---|---|
| I. Revenue from operations | 14 | 125.67 | 5.05 |
| II. Other Income | 15 | 111.22 | 67.05 |
| **III.Total Revenue (I+II)** | | 236.89 | 72.10 |
| IV. Expenses: | | | |
| (a) Deposit Works Expenses | 16 | - | - |
| (b) Employee Benefit Expenses | 17 | 108.21 | 41.97 |
| (c) Depreciation & Amortization | 18 | 0.27 | 0.00 |
| (d) Other Expenses | 19 | 19.96 | 8.01 |
| **Total Expenses** | | 128.45 | 49.98 |
| V. Profit before exceptional and extraordinary items and tax | (III – IV) | 108.45 | 22.11 |
| VI. Exceptional Items | | - | - |
| VII. Profit before extraordinary items and tax (V-VI) | | 108.45 | 22.11 |
| VIII. Extraordinary Items | | - | - |
| IX. Profit before tax (VII – VIII) | | **108.45** | **22.11** |
| X. Tax Expenses : | | | |
| (1) Current tax | | 27.41 | 5.55 |
| (2) Earlier Year tax | | - | - |
| (3) Deferred tax | | - | - |
| XI. Profit (Loss) from the period from continuing operations | (IX – X) | 81.04 | 16.56 |
| XII. Profit/(Loss) from discontinuing operations | | - | - |
| XIII. Tax expense of discontinuing operations | | - | - |
| XIV. Profit/(Loss) from Discontinuing operations (XII – XIII) | | - | - |
| XV. Profit/(Loss) for the period (XI + XIV) | | **81.04** | **16.56** |
| XVI. Equity shares of par value a 100/- each | | | |
| XVII. Earning per equity share: | | | |
| (1) Basic and Diluted (in Rs.) | | **16.21** | **3.31** |
| XVIII. Number of shares used in computing earnings per share | | | |
| (1) Basic and Diluted (in Rs.) | | 5,00,000 | 5,00,000 |
| Corporate Information | 1 | | |
| Significant accounting policies | 2 | | |

As per our report of even date attached
For **BGJC & Associates LLP**
Chartered Accountants
Firm Registration No.-003304N/N500056

For and on behalf of the Board of Directors of
**Delhi Police Housing Corporation Ltd.**

| Sd/- | Sd/- | Sd/- | Sd/- |
|---|---|---|---|
| **(CA Pranav Jain)** | **(Sanjay Arora)** | **(Surender Singh Yadav)** | **(Harish Kumar)** |
| Partner | Chairman | Managing Director | Director |
| Membership No. 098308 | DIN No. 09734568 | DIN No. 09608684 | DIN No. 09794440 |
| UDIN : 230983083GVLTS1332 | | | |

Place : New Delhi
Date : 30.05.2023

**दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड**
13वॉं तल, टॉवर–2, नया पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड़, नई दिल्ली–110001

# 2022–23 के लिए नकद प्रवाह का विवरण

(रुपये लाख में)

| | विवरण | 2022–23 | 2021–22 |
|---|---|---|---|
| क | **प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह** | | |
| | **कराधान पूर्वलाभ** | 108.45 | 22.11 |
| | समायोजन के लिए: | | |
| | घटाए : ब्याज आय | (110.75) | (67.05) |
| | जोड़ें : ब्याज व्यय | 0.27 | 0.00 |
| | | (2.03) | (44.94) |
| | चालू आस्तियों में (वृद्धि) घटत | (18.86) | 1.88 |
| | प्रावधान में (वृद्धि) घटत | 5.74 | - |
| | चालू देयताओं में (घटत) वृद्धि | (3,626.22) | 265.54 |
| | प्रचालन से सृजित नकद | (3,611.07) | 222.48 |
| | आयकर देय | (1.96) | (13.19) |
| | *प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद उपयोग* | (3,609.11) | 209.29 |
| ख | **निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह** | | |
| | अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान | (0.33) | (0.21) |
| | प्राप्त ब्याज | 105.16 | 67.05 |
| | *निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद* | 104.83 | 66.84 |
| ग | **वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह** | | |
| | वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद | - | - |
| | **नकद और नकद समकक्ष में निवल (घटत)** | 3,713.94 | 276.13 |
| | **वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष** | 1,564.64 | 1,288.51 |
| | **वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष** | **5,278.58** | **1,564.64** |
| | वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष तुलन–पत्र के अनुसार | 5,278.58 | 1,564.64 |
| | अन्तर | - | - |

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
**बी जी जे सी एंड एसोशिएटस एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003304एन/एन500056

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
**दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड**

| ह. | ह. | ह. | ह. |
|---|---|---|---|
| **(सीए प्रनव जैन)** | **(संजय अरोड़ा)** | **(सुरेन्द्र सिंह यादव)** | **(हरीश कुमार)** |
| भागीदार | अध्यक्ष | प्रबंध निदेशक | निदेशक |
| सदस्यता सं. 098308 | डीआईएन सं. 09734568 | डीआईएन सं. 09608684 | डीआईएन सं. 09794440 |
| यूडीआईएन 230983083GVLTS1332 | | | |

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2023

**Delhi Police Housing Corporation Ltd.**
13th Floor, Tower-II, New PHQ Building, Jai Singh Road, New Delhi – 110001

## Cash Flow Statement for the Year 2022-23

(Rupees in Lakh)

| | PARTICULARS | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| A | **CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES** | | |
| | **Profit before taxation** | 108.45 | 22.11 |
| | Adjustments for: | | |
| | Less: Interest income | (110.75) | (67.05) |
| | Add: Depreciation | 0.27 | 0.00 |
| | | (2.03) | (44.94) |
| | (Increase)/decrease in Current Assets | (18.86) | 1.88 |
| | (Increase)/decrease in Provisions | 5.74 | - |
| | Increase/(decrease) in Current Liabilities | 3,626.22 | 265.54 |
| | Cash generated from operations | 3,611.07 | 222.48 |
| | Income tax paid | (1.96) | (13.19) |
| | ***Net cash used in operating activities*** | 3,609.11 | 209.29 |
| B | **Cash Flows From Investing Activities** | | |
| | Purchase for PPE | (0.33) | (0.21) |
| | Interest received | 105.16 | 67.05 |
| | ***Net cash from investing activities*** | 104.83 | 66.84 |
| C | **Cash Flows From Financing Activities** | | |
| | Net cash used from financing activities | - | - |
| | **Net Increase (decrease) in cash and cash equivalents** | 3,713.94 | 276.13 |
| | **Cash & cash equivalents at beginning of the Year** | 1,564.64 | 1,288.51 |
| | **Cash & cash equivalents at end of the Year** | **5,278.58** | **1,564.64** |
| | Cash & cash equivalents at end of the Year as per B/S | 5,278.58 | 1,564.64 |
| | Difference | - | - |

As per our report of even date attached
For **BGJC & Associates LLP**
Chartered Accountants
Firm Registration No.-003304N/N500056

For and on behalf of the Board of Directors of
**Delhi Police Housing Corporation Ltd.**

Sd/-
**(CA Pranav Jain)**
Partner
Membership No. 098308
UDIN : 230983083GVLTS1332

Sd/-
**(Sanjay Arora)**
Chairman
DIN No. 09734568

Sd/-
**(Surender Singh Yadav)**
Managing Director
DIN No. 09608684

Sd/-
**(Harish Kumar)**
Director
DIN No. 09794440

Place : New Delhi
Date : 30.05.2023

**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां**

**1. कंपनी सूचना**

दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड की स्थापना गृह–निर्माण और पुलिस थाना का निर्माण तथा निर्माण कार्य/सिविल–निर्माण कार्य, मरम्मत और रखरखाव कार्य आदि अथवा दिल्ली पुलिस विभाग की कोई भी इमारत संबंधी किसी भी निमार्ण कार्य के उद्देश्य से 16.11.2007 को की गई थी। भारत के राष्ट्रपति अपने नामांकित व्यक्तियो के साथ ईक्विटी शेयर पूंजी का 100% हिस्सा रखते हैं।

कंपनी का पंजीकृत पता व कार्य का प्रमुख स्थान 1319, 13वीं मंजिल, टॉवर–II, पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली–110001 है।

**2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए लगातार लागू की गई हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है।

**2.1 वित्तीय विवरणिकाओं की मूल तैयारी**

लेखांकन परिपाटी – वित्तीय विवरणिकाओं को उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत तैयार किया जाता हैं जब तक अन्यथा न कहा गया हो और आम तौर पर भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखांकन मानक और लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रासंगिक प्रस्तुति की आवश्यकता का पालन करते हैं।

**2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण**

मान्यता

किसी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद की लागत को किसी आस्ति के रूप में मान्यता तभी दी जाएगी, यदि और केवल यदि, यह संभव है कि इस मद के साथ जुड़े भावी आर्थिक लाभ प्रतिष्ठान को प्राप्त होंगे तथा इस मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो ।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की वह मद को प्रारंभ में लागत के आधार पर मान्यता दी जाती है। उत्तरवर्ती माप को लागत से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और संचित क्षतिग्रस्तता हानियों को घटाकर किया जाता है। लागत में वह व्यय शामिल है जो संपत्ति को उस स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है और इसके लिए प्रबंधन द्वारा निर्धारित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थिति है ।

**Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2023**

**1. CORPORATE INFORMATION**

Delhi Police Housing Corporation Limited was incorporated on 16.11.2007 with the object of construction of houses and police station buildings and to undertake construction/civil works, repair & maintenance work etc. or to do any civil works in connection with any building belonging to Delhi police department. The President of India along with his nominees holds 100% of the equity share capital.

The registered address and principal place of business of the Company is at 1319, 13th Floor, Tower - II, Police Head Quarter, Jai Singh Road, New Delhi-110001.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

Accounting policies have been applied consistently to all periods presented in the financial statements. A summary of the significant accounting policies adopted in the preparation of the financial statements on going concern basis are given below.

**2.1 BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS**

Accounting Convention – The Financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis unless otherwise stated and in accordance with generally accepted accounting principles and applicable accounting standards in India. The Financial statements adhere to the relevant presentation requirement of the Companies Act, 2013.

**2.2 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT(PPE)**

Recognition

An item of property, plant and equipment is recognized as an asset if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably.

Items of property, plant and equipment are initially recognized at cost. Subsequent measurement is done at cost less accumulated depreciation/amortization and accumulated impairment losses. Cost includes expenditure that is directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by Management.

अमान्यता

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मान्यता तब अमान्य कर दी जाती है जब उनके उपयोग या उनके निपटान पर अथवा जब उसके उपयोग से भावी आर्थिक लाभों की प्रत्याक्षा न हो। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद की मान्यता समाप्त होने पर लाभ और हानि का निर्धारण संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की निपटान से प्राप्तियों, यदि कोई है, और अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है एवं लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

मूल्यह्रास

स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास अधोलिखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) पद्धति पर मूल्यह्रास योग्य राशि की सीमा तक प्रदान किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। मूल्यह्रास की गणना भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों पर लागू दिशानिर्देश" के अनुसार की जाती है।

**2.3 अमूर्त आस्तियां**

मान्यता

एक अमूर्त आस्ति को तभी, और केवल तभी, अमूर्त आस्ति माना जाएगा, यदि इस बात की संभावना हो कि उस आस्ति से प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभ जुड़े हुए हैं, प्रतिष्ठान (कंपनी) के पास ही आएंगे, और आस्ति की लागत का माप विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता है।

कंपनी द्वारा अधिगृहीत की जाने वाली अमूर्त आस्तियां, जिनके सीमित उपयोगी जीवन काल हैं, लागत पर पहचानी जाती हैं। उत्तरवर्ती मापन को लागत से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और संचित क्षतिग्रस्तता हानियों को घटाकर किया जाता है। लागत में किसी प्रत्यक्ष रूप से आरोपणीय आकस्मिक खर्च शामिल है जो संपत्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक है।

बाद के व्यय को आस्तियों की अग्रणीय राशि में वृद्धि के रूप में शामिल किया जाता है जब यह संभावना हो कि व्ययित लागत से होने वाली प्राप्ति भावी आर्थिक लाभ से जुड़े हुए हैं, कंपनी के पास ही आएंगे और आस्ति की लागत का माप विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता है।

अमान्यता

एक अमूर्त आस्ति की मान्यता तब अमान्य कर दी जाती है जब उनके उपयोग या उनके निपटान पर अथवा जब उसके उपयोग से भावी आर्थिक लाभों की प्रत्याक्षा न हो। अमूर्त आस्ति की किसी मद की मान्यता समाप्त होने पर लाभ और हानि का निर्धारण अमूर्त आस्ति की निपटान से प्राप्तियों, यदि कोई है, और अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है एवं लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

De-recognition

Property, plant and equipment is derecognized when no future economic benefits are expected from their use or upon their disposal. Gains and losses on de-recognition of an item of property, plant and equipment are determined by comparing the proceeds from disposal, if any, with the carrying amount of property, plant and equipment, and are recognized in the statement of profit and loss.

Depreciation

Depreciation on Fixed Assets is provided to the extent of depreciable amount on the Written down Value (WDV) Method. Depreciation is provided based on useful life of the assets as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013. Depreciation is calculated as per "Application Guide on the Provisions of the Schedule II to The Companies Act, 2013" issued by ICAI.

**2.3. Intangible assets**

Recognition

An intangible asset is recognized if and only if it is probable that the expected future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the Company and the cost of the asset can be measured reliably.

Intangible assets that are acquired by the Company, which have finite useful lives, are recognized at cost. Subsequent measurement is done at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. Cost includes any directly attributable incidental expenses necessary to make the assets ready for its intended use.

Subsequent expenditure is recognized as an increase in the carrying amount of the asset when it is probable that future economic benefits deriving from the cost incurred will flow to the enterprise and the cost of the item can be measured reliably.

De-recognition

An intangible asset is derecognized when no future economic benefits are expected from their use or upon their disposal. Gains & losses on de-recognition of an item of intangible assets are determined by comparing the proceeds from disposal, if any, with the carrying amount of intangible assets and are recognized in the statement of profit and loss.

परिशोधन

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित दरों के अनुसार सॉफ्टवेयर को डब्लूडीवी पद्धति पर परिशोधित किया जाता है जिसमें 3 वर्ष का उपयोग का समय लगता है।

**2.4 राजस्व मान्यता नीति**

आय का अर्जन होने पर मान्यता दी जाती है। कंपनी के राजस्व (आय) की प्राप्तिः

क. परियोजना प्रबंधन अनुबंध (पीएमसी) सर्विस, परियोजना निष्पादन / मरम्मत और अनुबंध का अनुरक्षण से आय,

ख. निवेश कार्य से आकस्मिक प्रभार (आय),

ग. सावधि जमा पर ब्याज,

घ. विविध आय, यदि कोई है ।

कंपनी दिल्ली पुलिस से प्राप्त पीएमसी को क्रियान्वित करती है और पीएमसी के निबंधनों ओर शर्तों के अनुसार सर्विस आय अर्जित करती है। पीएमसी के निष्पादन के दौरान व्ययित राशि आकस्मिक प्रभार कहलाती है। जिसे पीएमसी के विरूद्ध वसूला जाता है। सावधि जमा पर ब्याज की गणना प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है।

**2.5 कराधान**

कर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर दोनों शामिल हैं। चालू कर को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य आय की राशि पर निर्धारित किया जाता है।

**2.6 सरकारी अनुदान का लेखांकन**

सरकारी अनुदान कुछ शर्तों के साथ अतीत या भविष्य के अनुपालन के लिए सरकार द्वारा किसी उद्यम को नकद या वस्तु के रूप में सहायता है। हालाँकि, कंपनी सरकारी अनुदान के लेखांकन के लिए एस–12 का पालन करती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।

**2.7 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपति**

प्राक्कलन की सारभूत डिग्री के सम्मिलन के प्रावधान को अभिज्ञात नहीं किया जाता है जब घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है। आकस्मिक देयताओं को अभिज्ञात नहीं किया जाता लेकिन लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है। आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में न अभिज्ञात किया जाता है न प्रकट किया जाता है।

**2.8 प्रति शेयर उपार्जन**

प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना की जाती है और अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग कर प्रकट किया जाता है। प्रति शेयर अवमिश्रित उपार्जन की गणना की जाती है और अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी की भारित औसत संख्या तथा बकाया अवमिश्रित ईक्विटी शेयरों के समकक्ष प्रकट किया जाता है केवल, तब ही जब परिणाम अवमिश्रित विरोधी है।

Amortization

Software is amortized on WDV method as per rates prescribed under Companies Act 2013 having taking useful of 3 Years.

**2.4 Revenue Recognition Policy**

Income is recognized as and when accrued. Company's revenues arise from

a. Project Management Contract (PMC) service Income from execution of Project/repairing & Maintenance contact,

b. Contingency charges ( income ) from deposit work ,

c. Interest on Fixed Deposit ,

d. Misc Income , if any.

Company executes PMC received from Delhi Police and earns Service Income as per terms and conditions of PMC. Contingency charges are those Expenses which are incurred during execution of PMC. The same is Recoverable against PMC. Interest is accounted for on Fixed Deposit on accrual basis.

**2.5 Taxation**

Tax expense comprises both current and deferred tax. Current Tax is determined on the amount of taxable income as per the provisions of the income tax Act, 1961.

**2.6 Accounting of Government Grants**

Government grants are assistance by government in cash or kind to an enterprise for past or future compliance with certain conditions. the Company follows AS-12 for accouting of Government Grants however, no Grant received from Government during the current financial year.

**2.7 Provisions, Contingent liabilities and contingent assets**

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is present obligation as result of events & it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent Liabilities are not recognized but are disclosed in the notes to accounts. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

**2.8 Earning Per Share**

Basic Earning per Share is computed and disclosed using the weighted average number of equity share outstanding during the period. Dilutive earnings per share is computed and disclosed using weighted average number of equity and dilutive equity equivalent shares outstanding during the period, except when the results would be anti-dilutive.

**2.9 नकद और नकद समतुल्य**

नकद और नकद समकक्ष में बैंक में नकद, नकद हस्तांगत, तीन महीने के भीतर परिपक्व होने वाली सावधि जमा रसीद एवं फ्लैक्सी एफडीआर शामिल हैं । कंपनी अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे भी कम की वास्तविक परिपक्वता है, ऐसे सभी अधिक नकदी वाले निवेशों पर विचार करती है।

**2.10 नकदी प्रवाह का विवरण**

लेखा मानक एएस–3 के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकदी प्रवाह की सूचना दी जाती है, जिसके द्वारा नकदी से भिन्न किस्म के लेन–देन के प्रभावों, किसी अतीत या भावी परिचालन की नकद प्राप्तियों अथवा भुगतानों के स्थगन अथवा उपचय, एवं निवेश अथवा वित्तपोषण द्वारा नकदी प्रवाह से संबद्ध आय अथवा व्यय मदों का असाधारण मदों से पूर्व लाभ(हानि) में समायोजन किया जाता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से होने वाली नकदी प्रवाहों नकदी प्रवाह को पृथक किया जाता है।

**2.11 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कारण**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार, कंपनी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की पहचान करने और उनके साथ सहमत शर्तों के बावजूद निर्दिष्ट वर्ष से अधिक बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता है।

हालाँकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कंपनी के आपूर्तिकर्ता के प्रोफाइल के आधार पर, एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत कोई आपूर्तिकर्ता शामिल नहीं है।

**2.9 Cash & Cash Equivalents**

Cash and cash equivalent comprises Cash at Bank, Cash in Hand, FDRs matured within a three month and flexi FDRs. The Company considers all highly liquid investments with an original maturity of three months or less from date of purchase, to be cash equivalents.

**2.10 Cash Flow Statement**

Cash flows are reported using indirect method as per AS-3, whereby profit / (loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferral or accrual of past or future cash receipts or payment. The cash flows from operating, investing and financing activities of the company are segregated based on the available information.

**2.11 Due to Micro, Small and Medium Enterprises**

As per the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the Company is required to identify the Micro, Small and Medium Enterprises and pay them interest on amount overdue beyond the specified year irrespective of the terms agreed with them.

However the Company is complying all the provisions as specified under MSME Act, 2006.

## 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

**टिप्पणी संख्या : 3. शेयर पूंजी** (रुपये लाख में)

| क) शेयर पूंजी | 31/03/2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े | | 31/03/2022 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | रुपए | संख्या | रुपए |
| **प्राधिकृत**<br>प्रति रुपए 100/– के ईक्विटी शेयर | 1000000 | 100000.00 | 1000000 | 100000.00 |
| **जारी** | | | | |
| प्रति रुपए 100/– के ईक्विटी शेयर | 500000 | 500.00 | 500000 | 500.00 |
| **अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त** | | | | |
| प्रति रुपए 100/– के ईक्विटी शेयर | 500000 | 500.00 | 500000 | 500.00 |
| **अभिदत्त किंतु पूर्णतः प्रदत्त नहीं** | | | | |
| कुल | 500000 | 500.00 | 500000 | 500.00 |

ख. 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को बकाया शेयरों की संख्या तथा शेयर पूंजी की राशि का सामांजस्य नीचे दिया जा रहा है:

(रुपये लाख में)

| विवरण | 31/03/2023 को ईक्विटी शेयर | | 31/03/2022 को ईक्विटी शेयर | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | रुपए | संख्या | रुपए |
| वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर | 5,00,000 | 500.00 | 5,00,000 | 500.00 |
| वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर | – | – | – | – |
| वर्ष के दौरान शेयर वापस खरीदे गए | – | – | – | – |
| वर्ष के अंत में बकाया शेयर | 5,00,000 | 500.00 | 5,00,000 | 500.00 |

**ग. 5% से अधिक शेयरों को धारित करने वाले शेयर धारकों के नाम नीचे हैं:**

| नाम | प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या | शेयर का प्रकार | शेयर धारिता का प्रतिशत | अंत में धारित शेयरों की संख्या | हस्तांतरण/उपहार शेयरों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| भारत के राष्ट्रपति | 4,99,940 | ईक्विटी शेयर | 99.99% | 4,99,940 | – |

**घ. 31/03/2023 को अदत्त अंश**

| विवरण | रुपए |
|---|---|
| निदेशक द्वारा | – |
| अधिकारियों द्वारा | – |

**ड. शेयर धारित प्रवर्तक का 31–03–2023 तक विवरण :**

| नाम | प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या | शेयर का प्रकार | प्रारंभ में शेयर धारिता का प्रतिशत | अंत में धारित शेयरों की संख्या | अंत में शेयर धारिता का प्रतिशत | हस्तांतरण/उपहार शेयरों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भारत के राष्ट्रपति | 4,99,940 | ईक्विटी शेयर | 99.99% | 4,99,940 | 99.99% | – |

**टिप्पणी संख्या : 4. आरक्षित एवं अधिशेष** (रुपये लाख में)

| विवरण | 31/03/2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े | 31/03/2022 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े |
|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | 798.27 | 781.72 |
| जोड़े : वर्ष के लिए लाभ | 81.04 | 16.56 |
| कुल | **879.31** | **798.27** |

## Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2023

**NOTE : 3. SHARE CAPITAL** (Rupees in lakh)

| a) Share Capital | Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2023 | | Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2022 | |
|---|---|---|---|---|
| | Number | Rs. | Number | Rs. |
| **Authorised**<br>Equity shares of Rs.100 each | 1000000 | 100000.00 | 1000000 | 100000.00 |
| **Issued** | | | | |
| Equity shares of Rs.100 each | 500000 | 500.00 | 500000 | 500.00 |
| **Subscribed and Fully Paid up** | | | | |
| Equity shares of Rs. 100 each | 500000 | 500.00 | 500000 | 500.00 |
| **Subscribed But not Fully Paid up** | | | | |
| **Total** | 500000 | 500.00 | 500000 | 500.00 |

**b) The reconciliation of the number of shares outstanding and the amount of share Capital as at March 31, 2023 and March 31, 2022 is set out** (Rupees in lakh)

| Particulars | Equity Shares as on 31/03/2023 | | Equity Shares as on 31/03/2022 | |
|---|---|---|---|---|
| | No. | Rs. | No. | Rs. |
| Shares outstanding at the beginning of the year | 5,00,000 | 500.00 | 5,00,000 | 500.00 |
| Shares issued during the year | - | - | - | - |
| Shares bought back during the year | - | - | - | - |
| Shares outstanding at the end of the year | 5,00,000 | 500.00 | 5,00,000 | 500.00 |

**c) Below are the name of the shareholders holding more than 5% of Shares**

| Name | No. of Shares Holding at the beginning | Class of Share | Percentage of Holding | No. of Shares Holding at the end | No. of Shares tranferred/ gifted |
|---|---|---|---|---|---|
| President of India | 4,99,940 | Equity Share | 99.99% | 4,99,940 | - |

**d) Unpaid calls as on 31/03/2023**

| Particulars | Rs. |
|---|---|
| By Directors | - |
| By Officers | - |

**e) Details of Shareholding of Promoters as on 31.03.2023**

| Name | No. of Shares Holding at the beginning | Class of Share | Percentage of Holding at beginning | No. of Shares Holding at the end | Percentage of Holding at end | No. of Shares tranferred/ gifted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| President of India | 4,99,940 | Equity Share | 99.99% | 4,99,940 | 99.99% | - |

**Note : 4. RESERVE & SURPLUS** (Rupees in lakh)

| Particulars | Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2023 | Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2022 |
|---|---|---|
| Opening Balance | 798.27 | 781.72 |
| Add: Profit For the year | 81.04 | 16.56 |
| **Total** | **879.31** | **798.27** |

## टिप्पणी संख्या : 5. अन्य दीर्घावधि देयताएं

(रुपये लाख में)

| विवरण | 31/03/2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े | 31/03/2022 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े |
|---|---|---|
| दिल्ली पुलिस | – | – |
| **कुल** | – | – |

## टिप्पणी संख्या : 6. देय व्यापार

(रुपये लाख में)

| विवरण | 31/03/2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े | 31/03/2022 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े |
|---|---|---|
| **देय व्यापार** | | |
| क. एमएसएमई का कुल बकाया | – | – |
| ख. अन्य लेनदारों कुल बकाया | – | – |
| **कुल** | – | – |

## टिप्पणी संख्या : 7. अन्य चालू देयताएं

(रुपये लाख में)

| विवरण | 31/03/2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े | 31/03/2022 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े |
|---|---|---|
| अव्ययित निवेश कार्य | 3742.70 | 247.96 |
| गृह मंत्रालय को भुगतान योग्य राशि | 484.18 | 464.58 |
| लेखा परीक्षा देय शुल्क | 0.54 | 0.54 |
| अंशिका डिजाईन–सलाहकार–वृत्तिक शुल्क | 0.00 | 0.07 |
| के.बी.डी.एस. एंड कंपनी–सीए फर्म–वृत्तिक शुल्क | 0.31 | 0.26 |
| संजीव गुप्ता एंड एसोसिएट्स–सीएस फर्म–वृत्तिक शुल्क | 0.70 | 0.35 |
| श्री शक्ति कैन्टीन | 0.31 | – |
| वेब टेकर्स आईटी | 0.00 | 0.21 |
| भुगतान योग्य जीएसटी | 8.32 | 0.91 |
| भुगतान योग्य टीडीएस | 36.76 | 5.78 |
| श्रम उपकर भुगतान योग्य | 9.31 | 1.01 |
| प्रतिभूति जमा भुगतान योग्य | 70.02 | 5.26 |
| क्वालिटी प्रिन्ट एंड ग्राफिक्स | – | – |
| कुल | **4353.15** | **726.93** |

## टिप्पणी संख्या : 8. अल्पावधि प्रावधान

(रुपये लाख में)

| विवरण | | 31/03/2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े | 31/03/2022 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े |
|---|---|---|---|
| भुगतान योग्य कर्मचारी लाभ–वेतन | | 7.50 | 3.86 |
| भुगतान योग्य कर्मचारी लाभ–अन्य | | 3.05 | 0.94 |
| | अ | 10.55 | 4.81 |
| आयकर हेतु प्रावधान | | 27.41 | 5.56 |
| घटाएं: अग्रिम कर के नामे समायोजित | | – | – |
| | ब | 27.41 | 5.56 |
| कुल | अ + ब | **37.96** | **10.36** |

**Note : 5. OTHER LONG TERM LIABILITIES** (Rupees in lakh)

| Particulars | Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2023 | Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2022 |
|---|---|---|
| Delhi Police | - | - |
| **Total** | - | - |

**Note : 6. Trade payables** (Rupees in lakh)

| Particulars | Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2023 | Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2022 |
|---|---|---|
| **Trade payables** | | |
| a. Total Outstanding dues to MSME | - | - |
| b. Total Outstanding dues to Other creditors | - | - |
| **Total** | **-** | **-** |

**Note : 7. OTHER CURRENT LIABILITIES** (Rupees in lakh)

| Particulars | Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2023 | Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2022 |
|---|---|---|
| Unspent Deposit Work | 3742.70 | 247.96 |
| Amount Payable to MHA | 484.18 | 464.58 |
| Audit Fees Payable | 0.54 | 0.54 |
| Anshika Design - Consultant - Professional fee | 0.00 | 0.07 |
| KBDS & Co-CA firm-Professional fee | 0.31 | 0.26 |
| Sanjeev Gupta & Asso.-CS firm-Professional fee | 0.70 | 0.35 |
| Shri Shakti Cateen | 0.31 | - |
| Web Takers IT | 0.00 | 0.21 |
| GST Payable | 8.32 | 0.91 |
| TDS Payable | 36.76 | 5.78 |
| Labour Cess Payable | 9.31 | 1.01 |
| Security Deposit Payable | 70.02 | 5.26 |
| Creditors For Deposit Work | - | - |
| **Total** | **4353.15** | **726.93** |

**Note : 8. SHORT TERM PROVISIONS** (Rupees in lakh)

| Particulars | | Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2023 | Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2022 |
|---|---|---|---|
| Employee Benefits Payable - Salary | | 7.50 | 3.86 |
| Employee Benefits Payable - other | | 3.05 | 0.94 |
| | A | 10.55 | 4.81 |
| Provision for Income Tax | | 27.41 | 5.56 |
| Less: Adjusted against Advance Tax | | - | - |
| | B | 27.41 | 5.56 |
| **Total** | **A+B** | **37.96** | **10.36** |

**टिप्पणी संख्या : 9. संपत्ति संयंत्र और उपकरण** (रुपये लाख में)

| कंपनी अधिनियम में निर्धारित डब्ल्यूडीवी पद्धति के अनुसार मूल्यह्रास | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संपत्ति का नाम | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास ब्लॉक | | | | | | कुल ब्लॉक | | कालावधि |
| | 01.04.2022 | अभिवर्धन | निपटान | 31.03.2023 | 01.04.2022 | एक वर्ष में मूल्यह्रास | बेची गई संपत्ति पर से वर्तमान मूल्यह्रास को घटाना | बेची गई संपत्ति पर से परिचालन लाभ के ह्रास को घटाना | एक वर्ष में मूल्यह्रास | 31.03.2023 तक कुल मूल्यह्रास | 31.03.2023 तक डब्ल्यूडीवी | 31.03.2022 तक डब्ल्यूडीवी | अवधि वर्ष |
| कंप्यूटर | - | 0.33 | - | 0.33 | - | 0.14 | - | - | 0.14 | 0.14 | 0.19 | - | 3 to 5 |
| उपस्कर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| वाहन | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| कुल वर्ष | - | 0.33 | - | 0.33 | - | 0.14 | - | - | 0.14 | 0.14 | 0.19 | - | |
| पिछला वर्ष | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

**टिप्पणी संख्या : 10. अमूर्त आस्तियां** (रुपये लाख में)

| कंपनी अधिनियम में निर्धारित डब्ल्यूडीवी पद्धति के अनुसार मूल्यह्रास | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संपत्ति का नाम | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास ब्लॉक | | | | | | कुल ब्लॉक | | कालावधि |
| | 01.04.2022 | अभिवर्धन | निपटान | 31.03.2023 | 01.04.2022 | एक वर्ष में मूल्यह्रास | बेची गई संपत्ति पर से वर्तमान मूल्यह्रास को घटाना | बेची गई संपत्ति पर से परिचालन लाभ के ह्रास को घटाना | एक वर्ष में मूल्यह्रास | 31.03.2023 तक कुल मूल्यह्रास | 31.03.2023 तक डब्ल्यूडीवी | 31.03.2022 तक डब्ल्यूडीवी | अवधि वर्ष |
| कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | 0.21 | - | - | 0.21 | 0.00 | 0.13 | - | - | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.21 | 3 |
| कुल वर्ष | 0.21 | - | - | 0.21 | 0.00 | 0.13 | - | - | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.21 | |
| पिछला वर्ष | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.21 | | |

**Note : 9. Property, Plant & Equipment**

(Rupees in lakh)

| Depreciation as per WDV Method as Prescribed in Companies Act | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the asset | GROSS BLOCK | | | | DEPRECIATION BLOCK | | | | | | NET BLOCK | | Useful lifes |
| | 01.04.2022 | Additions | Deletions | 31.03.2023 | 01.04.2022 | Dep for the year | Deletion of current Dep on asset sold | Deletions of op Dep on asset sold | Dep for the Year | Total Dep on 31.03.2023 | WDV on 31.03.2023 | WDV on 31.03.2022 | Life in year |
| Computer | - | 0.33 | - | 0.33 | - | 0.14 | - | - | 0.14 | 0.14 | 0.19 | - | 3 to 5 |
| Furniture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Vehicles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Total for the year | - | 0.33 | - | 0.33 | - | 0.14 | - | - | 0.14 | 0.14 | 0.19 | - | |
| Previous year | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |



**Note : 10. Intangible Assets**

(Rupees in lakh)

| Depreciation as per WDV Method as Prescribed in Companies Act | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the asset | GROSS BLOCK | | | | DEPRECIATION BLOCK | | | | | | NET BLOCK | | Useful lifes |
| | 01.04.2022 | Additions | Deletions | 31.03.2023 | 01.04.2022 | Dep for the year | Deletion of current Dep on asset sold | Deletions of op Dep on asset sold | Dep for the Year | Total Dep on 31.03.2023 | WDV on 31.03.2023 | WDV on 31.03.2022 | Life in year |
| Computer Software | 0.21 | - | - | 0.21 | 0.00 | 0.13 | - | - | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.21 | 3 |
| Total for the year | 0.21 | - | - | 0.21 | 0.00 | 0.13 | - | - | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.21 | |
| Previous year | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 021 | | |

**टिप्पणी संख्या : 11. नकद और नकद समकक्ष**

(रुपये लाख में)

| विवरण | 31/03/2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े | 31/03/2022 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े |
|---|---|---|
| **क) नकद और नकद समकक्ष** | | |
| बैंक शेष | | |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं. 30316069825 | 0.19 | 9.73 |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं. 30896561075 | 20.61 | 0.14 |
| एक्सिस बैंक खाता सं. 921010055539734 | 4001.92 | 300.69 |
| **ख) अन्य बैंक शेष** | | |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सावधि जमा | 155.86 | 1,254.07 |
| एक्सिस बैंका के साथ सावधि जमा | 1100.00 | – |
| **कुल** | **5278.58** | **1,564.64** |

टिप्पणीः नकद और नकद समतुल्य में बैंक के साथ कंपनी द्वारा रखी गई जमा राशि शामिल है, जिसे कंपनी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के या बिना मूलधन पर अर्थदंड के वापस लिया जा सकता है।

**टिप्पणी संख्या : 12. अल्पावधि ऋण और अग्रिम**

(रुपये लाख में)

| विवरण | 31/03/2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े | 31/03/2022 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े |
|---|---|---|
| आयकर मूल्यांकन वर्ष 2021–22 (निवल प्रावधान कर) | 0.00 | 4.35 |
| आयकर मूल्यांकन वर्ष 2022–23 (निवल प्रावधान कर) | 7.63 | 13.18 |
| आयकर मूल्यांकन वर्ष 2023–24 (निवल प्रावधान कर) | 6.32 | 0.00 |
| **कुल** | **13.94** | **17.53** |

**टिप्पणी संख्या : 13. अन्य चालू आस्तियां**

(रुपये लाख में)

| विवरण | 31/03/2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े | 31/03/2022 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े |
|---|---|---|
| जमा रसीद पर प्राप्तव्य ब्याज | 36.88 | 31.29 |
| राईट्स लिमिटेड | 440.75 | 421.14 |
| मनीष कोठारी–टीडीएस वसूली योग्य | – | 0.75 |
| **कुल** | **477.63** | **453.18** |

**टिप्पणी संख्या : 14. संचालन से राजस्व**

(रुपये लाख में)

| विवरण | 31/03/2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े | 31/03/2022 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े |
|---|---|---|
| पीएमसी सेवा आय | 125.67 | 5.05 |
| निवेश कार्य निधि रसीद (पीएमसी व जीएसटी सहित) | 2106.59 | 120.72 |
| घटाएः मरम्मत व रखरखाव कार्य के लिए निवेश कार्य व्यय | –2106.59 | –120.72 |
| **कुल** | **125.67** | **5.05** |

**Note : 11. CASH & CASH EQUIVALENTS**

(Rupees in lakh)

| Particulars | Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2023 | Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2022 |
|---|---|---|
| **a) CASH & CASH EQUIVALENTS** | | |
| Balance with Bank | | |
| State Bank of India – A/c - 30316069825 | 0.19 | 9.73 |
| State Bank of India – A/c - 30896561075 | 20.61 | 0.14 |
| Axix Bank – A/c - 921010055539734 | 4001.92 | 300.69 |
| **b) Other Bank Balances:** | | |
| FDR's with SBI Bank | 155.86 | 1,254.07 |
| FDR's with AxisI Bank | 1100.00 | - |
| **Total** | **5278.58** | **1,564.64** |

Note: Cash and Cash Equivalents includes deposites maintained by the Company with Bank, which can be withdrawn by the Company at any point of time without prior notice or penalty on the principal.

**Note : 12. SHORT TERM LOANS AND ADVANCES**

(Rupees in lakh)

| Particulars | Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2023 | Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2022 |
|---|---|---|
| Income Tax A.Y. – 2021-22 (Net of Provision of Tax) | 0.00 | 4.35 |
| Income Tax A.Y. – 2022-23 (Net of Provision of Tax) | 7.63 | 13.18 |
| Income Tax A.Y. – 2023-24 (Net of Provision of Tax) | 6.32 | 0.00 |
| **Total** | **13.94** | **17.53** |

**Note : 13. OTHER CURRENT ASSETS**

(Rupees in lakh)

| Particulars | Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2023 | Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2022 |
|---|---|---|
| Interest on FDR Receivable | 36.88 | 31.29 |
| RITES Ltd. | 440.75 | 421.14 |
| Manish Kothari - TDS recoverable | - | 0.75 |
| **Total** | **477.63** | **453.18** |

**Note : 14. REVENUE FROM OPERATIONS**

(Rupees in lakh)

| Particulars | Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2023 | Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2022 |
|---|---|---|
| Project Management Consultancy (PMC)/ Service Income | 125.67 | 5.05 |
| Deposit work Fund Receipt (including PMC & GST ) | 2106.59 | 120.72 |
| Less: Deposit work expenses incurred For Rep & Maint work | -2106.59 | -120.72 |
| **Total** | **125.67** | **5.05** |

टिप्पणी संख्या : 15. अन्य आय

(रुपये लाख में)

| विवरण | 31/03/2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े | 31/03/2022 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े |
|---|---|---|
| एक्सिस बैंक में बचत खाते में जमा पर ब्याज | 47.58 | 1.57 |
| एक्सिस बैंक में मियादी जमा पर ब्याज | 36.10 | – |
| एसबीआई में मियादी जमा पर ब्याज | 27.08 | 65.36 |
| निविदा फीस | 0.00 | 0.00 |
| आयकर वापसी पर ब्याज | 0.45 | 0.17 |
| अन्य आय | 0.01 | – |
| **कुल** | **111.22** | **67.05** |

टिप्पणी संख्या : 16. निवेश कार्य व्यय

(रुपये लाख में)

| विवरण | 31/03/2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े | 31/03/2022 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े |
|---|---|---|
| मरम्मत व रखरखाव के लिए निवेश कार्य व्यय | 2106.59 | 120.72 |
| घटाएः मरम्मत व रखरखाव कार्य के लिए मान्यता प्राप्त निवेश कार्य व्यय | –2106.59 | –120.72 |
| | – | – |
| अन्य निर्माण व्यय (स्वंय की निधि से किया गया व्यय) | | |
| **कुल** | **–** | **0.00** |

टिप्पणी संख्या : 17. कर्मचारी हित व्यय

(रुपये लाख में)

| विवरण | 31/03/2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े | 31/03/2022 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े |
|---|---|---|
| वेतन | 105.36 | 40.66 |
| ईपीएफ को कर्मचारी अंशदान | 1.13 | 0.77 |
| ईडीएलआई को कर्मचारी अंशदान | 0.05 | – |
| ईपीएफ प्रसाशनिक शुल्क | 0.06 | – |
| शिक्षण शुल्क | 1.62 | 0.54 |
| **कुल** | **108.21** | **41.97** |

टिप्पणी संख्या : 18. मूल्यह्रास और परिशोधन

(रुपये लाख में)

| विवरण | 31/03/2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े | 31/03/2022 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े |
|---|---|---|
| मूल्यह्रास | 0.14 | 0.00 |
| अमूर्त परिसंपित्तयों पर मूल्यह्रास | 0.13 | 0.00 |
| **कुल** | **0.27** | **0.00** |

**Note : 15. OTHER INCOMES** (Rupees in lakh)

| Particulars | Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2023 | Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2022 |
|---|---|---|
| Interest on SB deposit with Axis Bank | 47.58 | 1.57 |
| Interest on term deposit with Axis Bank | 36.10 | - |
| Interest on term deposit with SBI | 27.08 | 65.36 |
| Tender Fees | 0.00 | 0.00 |
| Interest on Income Tax refund | 0.45 | 0.12 |
| Other Income | 0.01 | - |
| **Total** | **111.22** | **67.05** |

**Note : 16. DEPOSIT WORK EXPENSES** (Rupees in lakh)

| Particulars | Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2023 | Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2022 |
|---|---|---|
| Deposit work Expenses For Rep. & Maint. Cost. | 2106.59 | 120.72 |
| Less: Deposit work Fund utilized for Rep. & Maint work | -2106.59 | -120.72 |
| Other Construction Exps. (incurred from own fund) | - | |
| **Total** | **-** | **0.00** |

**Note : 17. EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES** (Rupees in lakh)

| Particulars | Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2023 | Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2022 |
|---|---|---|
| Salary | 105.36 | 40.66 |
| Employer Contribution to EPF | 1.11 | 0.77 |
| Employer Contribution to EDLI | 0.05 | - |
| EPF administration charges | 0.06 | - |
| Tuition Fee | 1.62 | 0.54 |
| **Total** | **108.21** | **41.97** |

**Note : 18. Depreciation & Amortization** (Rupees in lakh)

| Particulars | Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2023 | Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2022 |
|---|---|---|
| Depreciation on plant, Property & Equipment | 0.14 | 0.00 |
| Depreciation on Intangible Assets | 0.13 | 0.00 |
| **Total** | **0.27** | **0.00** |

**टिप्पणी संख्या : 19. अन्य व्यय**

(रुपये लाख में)

| विवरण | 31/03/2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े | 31/03/2022 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े |
|---|---|---|
| लेखापरीक्षक पारिश्रमिक (सांविधिक लेखापरीक्षा) | 0.60 | 0.60 |
| बैंक प्रभार | 0.01 | 0.01 |
| वाहन व्यय | 1.45 | 0.30 |
| छूट रहित प्राप्त ब्याज | 8.25 | 0.00 |
| सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस शुल्क | 0.12 | 0.24 |
| विविध व्यय | 0.04 | 0.38 |
| प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी(वार्षिक विवरण का मुद्रण) | 4.11 | 2.01 |
| पूर्व अवधि के व्यय | 0.22 | 0.44 |
| विधि और व्यावसायिक शुल्क | 4.61 | 3.20 |
| जलपान व्यय | 0.35 | – |
| आरओसी शुल्क | 0.20 | 0.18 |
| यात्रा व्यय | 0.00 | 0.66 |
| **कुल** | **19.96** | **8.01** |

**Note : 19. OTHER EXPENSES**

(Rupees in lakh)

| Particulars | Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2023 | Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2022 |
|---|---|---|
| Auditors Remuneration ( Statutory Audit ) | 0.60 | 0.60 |
| Bank Charges | 0.01 | 0.01 |
| Conveyance Expenses | 1.45 | 0.30 |
| Interest Receivable w/off | 8.25 | 0.00 |
| Licence fee for Software | 0.12 | 0.24 |
| Misc Exp. | 0.04 | 0.38 |
| Printing & Stationery (Incl. Print of Annual Reports) | 4.11 | 2.01 |
| Prior Period Expenses | 0.22 | 0.44 |
| Legal & Professional Fees | 4.61 | 3.20 |
| Refreshment Expense | 0.35 | - |
| ROC Fees | 0.20 | 0.18 |
| Travelling expenses | 0.00 | 0.66 |
| **Total** | **19.96** | **8.01** |

**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं पर अन्य टिप्पणियां**

**नोटः 20. निवेश कार्य**

वर्तमान में, दिपुआनिलि आवासीय क्वार्टर, पुलिस स्टेशनों और अन्य वाणिज्यिक भवनों या कार्यालयों के संबंध में मरम्मत और रखरखाव कार्य हेतु दिल्ली पुलिस से प्राप्त कार्य आदेश पर अपनी गतिविधियों को चला रहा है। अनुमानित लागत रखरखाव के प्रत्येक कार्य या परियोजना के लिए दिपुआनिलि के इंजीनियरिंग विंग द्वारा गणना की जाती है तथा उचित चर्चा के बाद दिल्ली पुलिस एकमुश्त राशि के लिए कार्य आदेश जारी करती है और आवश्यकता के अनुसार ऐसी राशि दिल्ली पुलिस द्वारा कार्य निधि निवेश के रूप में दिपुआनीलि को अंतरित की जाती है।

तत्पश्चात् निविदा के माध्यम से दिपुआनिलि द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है तथा वेंडरों एवं ठेकेदारों को भुगतान किया जाता है। दिपुआनिलि वेंडरों एवं ठेकेदारों द्वारा किया गया भुगतान संबंधित निवेश कार्य निधी से नामे किया जाता है। निवेश कार्य के विरुद्ध मान्यता प्राप्त निर्माण लागत अथवा अनुरक्षण कार्य से संबंधित व्यय को नोट संख्या 14 और 16 के अंतर्गत दर्शाया गया है।

**नोट–21. निवेश कार्य की अव्ययित शेष राशि।**

21.1 निवेश कार्य – सेक्टर–09 द्वारका परियोजना – राइट्स लिमिटेड की अव्ययित राशि।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा), प्रधान लेखा कार्यालय (पीएओ), गृह मंत्रालय, (एमएचए), नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार प्रधान लेखा कार्यालय की राइट्स लिमिटेड के पास दिनांक 31.03.2023 को उपचित ब्याज सहित अव्ययित शेष राशि रु .484.18 लाख को ''गृह मंत्रालय को देय राशि" शीर्ष के अंतर्गत और रु. 0.03 लाख को "अव्ययित निवेश कार्य" के अंतर्गत दर्शाया गया है। कृपया नोट–7 देखें।

21.2 दिल्ली पुलिस से प्राप्त निवेश राशि का अव्ययित शेष

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार दिल्ली पुलिस से विभिन्न अनुरक्षण कार्यों के लिए प्राप्त निवेश कार्य की अव्ययित राशि 3742.70 लाख रूपये है। जिसे "अव्ययित निवेश कार्य" में वर्तमान देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है। जिसमें सेक्टर–09 द्वारका परियोजना – राइट्स लिमिटेड से संबंधित 2,80,460/– रूपये भी शामिल है।कृपया नोट–6 देखें।

**नोट–22. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं**

कंपनी की कोई आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धता नहीं है।

**नोट– 23. कर्मचारी लाभ**

लेखा मानक–15 कंपनी पर लागू नहीं होता है क्योंकि कंपनी लेवल–I श्रेणी के उद्यमों की नहीं है यानी कर्मचारियों की संख्या 50 या उससे अधिक नहीं है।

**Other Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2023**

**Note : 20. Deposit work**

Presently DPHCL is carrying on its activities on work order received from Delhi Police for repairing and maintenance work in respect of Residential Quarters, Police Stations and other commercial buildings or offices/ an estimated cost is calculated by engineering wing of DPHCL for every work of maintenance or project and after due discussion Delhi Police issue work order for a lumpsum amount and such amount as per requirement fund is transferred by Delhi police to DPHCL as Deposit Work Fund. Thereafter , through tender , work is executed by DPHCL and payment is made to vendors and contractors. Payment is made by DPHCL Vendors/contractors is debited against relevant deposit work fund. The details of expenditure relating to Construction Cost or maintenance work recognized against Deposit work has been shown under Note No 14 & 16.

**Note-21. Unspent Balances of Deposit work**

21.1 Unspent Balance of Deposit Work- Sector-9 Dwarka Project –RITES Ltd

The unspent balance along with interest accrued thereon lying with RITES Limited belongs to PAO,MHA as per directions of Sr. AO(A/CS ) Principal Accounts Office (PAO), Ministry of Home Affairs, (MHA), New Delhi is RS. 484.18 Lakh as on 31.03.2023 has been shown under the head "Amount Payable to MHA" and Rs. 0.03 Lakh shown under the head "Unspent Deposit Work". Please refer to Note-7.

21.2 Unspent Balance of Deposit Work received from Delhi Police

Unspent amount of Deposit work received against various maintenance work form Delhi Police is Rs. 3742.70 Lakh as on 31.03.2023 has been shown under Current Liabilities under the head "Unspent Deposit Work" which also includes Rs. 0.03 Crore pertaining to Sector-9 Dwarka Project – RITES Ltd. Please refer to Note-7.

**Note-22. Contingent Liabilities & Commitments**

There is no Contingent liabilities & commitments of the Company.

**Note- 23. Employee Benefits**

AS- 15 is not applicable to the Company since the Company is not of Level-I category enterprises i.e. Number of employees is not more than 50 or more.

नोट–21. प्रबंधन कार्मिकों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

**Note- 21. The details of Management Personnel are as Follows:**

| क्रसं0 S. No. | निदेशक के नाम Director's Name | पदनाम Designation | नियुक्ति की तारीख Date of Appointment | त्यागपत्र की तारीख Date of Cessation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री संजय अरोड़ा, आईपीएस Sh. Sanjay Arora, IPS | अध्यक्ष Chairman | 12/09/2022 | जारी Continuing |
| 2. | श्री सुरेन्द्र सिंह यादव , आईपीएस Sh. Surender Singh Yadav, IPS | प्रबंध निदेशक Managing Director | 17/05/2022 | जारी Continuing |
| 3. | श्री देपेन्द्र पाठक , आईपीएस Sh. Dependra Pathak, IPS | अपर निदेशक Additional Director | 07/03/2023 | जारी Continuing |
| 4. | श्री संजय बेनीवाल, आईपीएस Sh. Sanjay Baniwal, IPS | अपर निदेशक Additinoal Director | 03/02/2022 | जारी Continuing |
| 5. | श्री अजय कुमार गुप्ता, आईएएस Sh. Ajay Kumar Gupta, IAS | निदेशक (राराक्षे दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि) Director (Representative of GNCTD) | 22/01/2021 | जारी Continuing |
| 6. | श्री हरीश कुमार Sh. Harish Kumar | निदेशक (दिविप्र॰ के प्रतिनिधि) Director (Representative of DDA) | 17/112022 | जारी Continuing |
| 7. | श्री प्रवीन कुमार राय Sh. Praveen Kumar Rai | निदेशक (गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि) Director (Representative of MHA) | 19/01/2022 | जारी Continuing |
| 8. | श्री दीपक अग्रवाल Sh. Deepak Agarwal | नामित निदेशक (आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि) Nominee Director (Representative from MoHUA) | 10/11/2022 | जारी Continuing |

**नोट– 25. वर्तमान कर**

कंपनी चालू कर आस्तियों और देयताओं को समाप्त करती हैं, जहां इसे कानून योग्य अधिकार हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक – 22 ''आय पर करों के लिए लेखांकन'' के अनुसार निवल आधार पर ऐसी आस्तियों और देयताओं के समाधान करना होता है तथा तद्नुसार, कर के लिए प्रावधान अग्रिम कर और प्राप्तव्य स्रोत पर कटौती को वित्तीय विवरणिकाओं में दिखाया गया है।

(रुपयें लाख में)

| | |
|---|---|
| कर के लिए प्रावधान | 27.41 |
| अग्रिम कर | 22.27 |
| स्रोत पर कर की कटौती प्राप्तव्य | 6.32 |
| आयकर वापसी योग्य(स्रोत पर कर की निवल कटौती और अग्रिम कर) | (1.18) |

**Note- 25. Current Taxes**

The Company offsets, the current tax assets and liabilities, where it has legally enforceable right and where it intend to settle such assets and liability on a net basis in accordance with Accounting Standard – 22 "Accounting for Taxes on Income" issued by ICAI and accordingly Provision for Tax, Advance Tax & TDS receivable shown as follows in financial statements.

(Rupees in Lakh)

| | |
|---|---|
| Provision for Tax | 27.41 |
| Advance Tax | 22.27 |
| TDS receivable | 6.32 |
| Income Tax Refundable (Net of TDS & Advance Tax) | (1.18) |

**नोट–26. प्रति शेयर उपार्जन**

प्रति शेयर (ईपीएस) मूल उपार्जन/अवमिश्रित की गणना लेखे के अनुसार वर्ष के लिए कराधान के बाद निवल लाभ को विभाजित की गई है, जो वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या में से ईक्विटी शेयर धारकों के लिए उत्तरदायी है।

**Note-26. Earnings Per Share**

Basic/Diluted Earning Per Shares (EPS) has been calculated by dividing net profit after taxation for the year as per accounts, which is attributable to equity shareholders by numbers of equity shares outstanding at the end of the year.

(Rupees in lakh)

| प्रति शेयर उपार्जन की गणना | Calculation of EPS | As on 31.03.2023 को | As on 31.03.2022 को |
|---|---|---|---|
| वर्ष के लिए निवल लाभ (रू0 लाख में) | Net Profit for the year( Rs. in lakh) | 81.04 | 16.56 |
| ईक्विटी शेयरों की संख्या | No. of equity Shares | 5,00,000 | 5,00,000 |
| प्रति शेयर मूलभूत और तरलीकृत अर्जन (रू0 प्रति शेयर) | Basic and Diluted EPS (Rs. Per Share) | 16.21 | 3.31 |
| प्रति शेयर अंकित मूल्य | Nominal Value per share | 100 | 100 |

**नोट– 27. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)**

पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद के दौरान एक कंपनी जिसकी निवल संपत्ति रु. 500 करोड़ रुपये अथवा रु.1000 करोड या उससे अधिक का टर्नओवर अथवा रु. 5 करोड़ या उससे अधिक का निवल लाभ के निवल संपत्ति उसे सीएसआर का भुगतान करना आवश्यक है। निवल संपत्ति या टर्नओवर या शुद्ध लाभ की शर्तों के लागू न होने के कारण कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कोई भुगतान नहीं किया है।

**Note-27. Corporate Social Responsibility (CSR)**

A Company is required to make payment of CSR having Net worth of Rs 500 Crore Or more or Turnover of Rs.1000 Crore Or more or Net profit of 5 Crore Or more, during immediately preceding financial year. The Company has not made any payment towards Corporate Social Responsibility due to non applicability of net worth or turnover or net profit conditions.

**नोट– 28. विदेशी मुद्रा में व्यय**

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई व्यय नहीं हुआ है।

**Note- 28. Expenditure in Foreign Currency**

There is no expenditure in foreign Currency during the FY- 2022-23.

**नोट– 29. व्यापार देय राशियों का आयुवार प्रकटीकरण**

**Note- 29. Age wise disclosure of Trade Payables**

| विवरण Particulars | 1 वर्ष से कम Less than 1 Year | 1–2 वर्ष 1-2 Years | 2–3 वर्ष 2-3 Years | 3 वर्ष से ज्यादा More than 3 Years | कुल Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **निर्विवादित देय Undisputed Dues** | | | | | |
| एमएसएमई / MSME | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil |
| अन्य / Others | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil |
| **विवादित देय Disputed Dues** | | | | | |
| एमएसएमई / MSME | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil |
| अन्य / Others | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil |

**नोट–30. व्यापार प्राप्तियों का आयुवार प्रकटीकरण**

**Note- 30. Age wise disclosure of Trade Receivables**

| विवरण Particulars | 6 वर्ष से कम Less than 6 Year | 6–1 वर्ष 6-1 Years | 1–2 वर्ष 1-2 Years | 2–3 वर्ष 2-3 Years | 3 वर्ष से ज्यादा More than 3 Years | कुल Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **निर्विवादित देय Undisputed Dues** | | | | | | |
| उत्तम Considered good | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil |
| संदिग्ध Considered Doubtful | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil |
| **विवादित देय Disputed Dues** | | | | | | |
| उत्तम Considered good | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil |
| संदिग्ध Considered Doubtful | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil |

नोट– 31. अन्य नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में वित्तीय अनुपात

**Note- 31. Financial Ratio in Compliance of other regulatory requirements**

| विवरण<br>Particulars | 2022-23 | 2021-22 | भिन्नता<br>Variance |
|---|---|---|---|
| चालू अनुपात<br>Current Ratio | 1.31 | 2.76 | (-)1.45 |
| इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल<br>Return on Equity Ratio | 0.06 | 0.01 | 0.05 |
| शुद्ध लाभ अनुपात<br>Net Profit Ratio | 0.46 | 0.31 | 0.15 |
| पूंजी कर्मचारी पर प्रतिफल<br>Return on Capital Employee | 0.06 | 0.01 | 0.05 |

**नोट– 32. बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार लेना**

वर्ष के दौरान कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार नहीं लिया।

**नोट– 33. दिपुआनिलि में कार्यरत दिल्ली पुलिस कर्मी**

दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मचारियों को परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने/रखरखाव के लिए निवेश कार्य में सहायता के लिए दिपुआनीलि में नियुक्त किया गया है जबकि इन कर्मचारियों का वेतन दिल्ली पुलिस द्वारा भुगतान किया जाता हैं।

**नोट– 34. कोविड–19 महामारी का वित्तीय प्रभाव**

01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि में कोविड–19 महामारी का कोई भी वित्तीय प्रभाव नही है।

**नोट– 35. आंकड़ों का समूहन/पुनः समूहन**

पिछले वर्ष के शेष/आंकड़ों को जहां अवश्यक हो, पुनः समूहित और पुनर्व्यवस्थित किया जाता हैं।

**Note-32. Borrowing from Banks and Financial Institutions**

Company has not borrowed from Banks and Financial Institutions during the year.

**Note-33. Delhi Police Personnel employed in DPHCL**

Some employees of Delhi Police have been employed in DPHCL to assist the Speedy completion of projects/deposit work for maintenance whereas salary of such employees is paid by Delhi Police.

**Note- 34. Financial Impact of Covid-19 pandemic**

The financial impect of Covid-19 Pandemic for the period from 01.04.2022 to 31.03.2023 is not significant.

**Note- 35. Grouping/Regrouping of figures**

Previous year Balances/Figures are regrouped & rearranged wherever necessary.

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
**बी जी जे सी एंड एसोशिएटस एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003304एन/एन500056

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
**दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ह.<br>**(सीए प्रनव जैन)**<br>भागीदार<br>सदस्यता सं. 098308<br>यूडीआईएन 230983083GVLTS1332 | ह.<br>**(संजय अरोड़ा)**<br>अध्यक्ष<br>डीआईएन सं. 09734568 | ह.<br>**(सुरेन्द्र सिंह यादव)**<br>प्रबंध निदेशक<br>डीआईएन सं. 09608684 | ह.<br>**(हरीश कुमार)**<br>निदेशक<br>डीआईएन सं. 09794440 |

As per our report of even date attached
For **BGJC & Associates LLP**
Chartered Accountants
Firm Registration No.-003304N/N500056

For and on behalf of the Board of Directors of
**Delhi Police Housing Corporation Ltd.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sd/-<br>**(CA Pranav Jain)**<br>Partner<br>Membership No. 098308<br>UDIN : 230983083GVLTS1332 | Sd/-<br>**(Sanjay Arora)**<br>Chairman<br>DIN No. 09734568 | Sd/-<br>**(Surender Singh Yadav)**<br>Managing Director<br>DIN No. 09608684 | Sd/-<br>**(Harish Kumar)**<br>Director<br>DIN No. 09794440 |

स्थान/Place : नई दिल्ली New Delhi

दिनांक/Date : 30.05.2023

नरेला आउटर—नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में सीजीएचएस डिस्पेंसरी का नवीनीकरण और उन्नयन कार्य दिपुआनिलि द्वारा किया गया।
Renovation & upgradation work of CGHS Dispensary at Narela Outer-North Distt. Completed by DPHCL

# दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)

**DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED**

**(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)**

(सीआईएन सं. यू45400डीएल2007जीओआई170534)

**(CIN No.: U45400DL2007GOI170534)**

13वॉं तल, टॉवर–2, नया पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड़, नई दिल्ली–110001

**13th Floor, Tower-II, New PHQ Building, Jai Singh Road, New Delhi – 110001**

दूरभाष / **Phone : 011-20818868** ई–मेल / **E-mail : dphcltd@yahoo.com, dphcltd@delhipolice.gov.in**

वेबसाईट / **Website:www.dphcl.com**